हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

04/04/2016/1400/MS/AG/1

Speaker: Question Hour begins.

व्यवस्था का प्रश्न

डॉ0 राजीव बिन्दल: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष: बोलिए।

डॉ0 राजीव बिन्दल: अध्यक्ष महोदय, बड़ी चिन्ता का विषय है कि स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। पिछले सप्ताह लगातार हम चार दिन तक प्रोटैस्ट करते रहे और उसके बाद चर्चा में भी भाग लेते रहे। हम यह उम्मीद कर रहे थे कि जो यह गम्भीरतम मामला है इसके ऊपर आप हमें किसी भी प्रकार से चर्चा अलाऊ करेंगे।

अध्यक्ष: कौन सा मामला है?

डॉ0 राजीव बिन्दल: माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं बल्कि अब तो मामला यहां तक पहुंच गया कि अभी अखबारों की हैडलाइन्स बनी हैं कि "मुख्य मंत्री जी के खाते सील" यानी हम कब तक हिमाचल प्रदेश को देश और दुनिया के अंदर बदनाम होते देखना चाहते हैं? किस प्रकार से,-(व्यवधान)-आपके लिए यह बात पुरानी हो सकती है लेकिन प्रदेश की स्थिति क्या है, उसकी चिन्ता करें। यह आज का अखबार है।

------(व्यवधान)-----

अध्यक्ष श्री जे0एस0 द्वारा-----

04.04.2016/1405/जेएस/एजी/1

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप मेरी बात सुनिए, मेरी आपसे विनती है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा बनती है। हमारा अधिकार है। जब तक सदन चला है, अगर इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है तो बाकी विषय इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि प्रदेश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति माननीय मुख्य मंत्री हैं, वे जब प्रश्न के घेरे के अन्दर है तो सरकार पंगु है, सरकार चल नहीं रही है। सरकार कभी दिल्ली भाग रही है, कभी शिमला भाग रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है। हम बार-बार आपसे कह रहे हैं कि हमें चर्चा चाहिए। सारे विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इसी के लिए हम आपसे बार-बार अनुरोध करते हैं। आप इस संबंध में आदेश दें।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मेरा आपसे यह कहना था और पहले शुरू से ही मैंने यह कहा था कि जिस बारे में आप चर्चा चाहते हैं वह ऑलरेडी कोर्ट्स में पैंडिंग है। सब ज्युडिस की वज़ह से यह मामला यहां पर डिस्कस नहीं हो सकता है। यह मैंने आपसे आग्रह किया था। कोर्ट्स अपना काम कर रहे हैं। Let the law take its own course. हमें उसमें ज्यादा दखलअंदाजी करने का फायदा नहीं है। अगर यह मामला कोर्ट में न होता तो शायद मैं आपको कह भी देता कि जो आप बोलना चाहे वह बोल देते। मैंने पिछले साल भी आपको कहा था तब भी इस तरह का मामला था और तब तक वह कोर्ट में नहीं था और आप बोलते रहे। मैं उसको कभी मना नहीं करता था। मैंने कहा कि रूल्ज़ के अंदर आप बोलिए लेकिन आज यह मामला कोर्ट्स में फैसले के लिए है इसलिए इसको हम यहां पर डिस्कस करना ठीक नहीं समझेंगे। It is against the rules. यह मरा आपसे निवेदन है।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष जी, दो-तीन मामलें आपके ध्यान में यहां पर लाए थे जिसके लिए हम चर्चा मांग रहे थे। एक तो डॉ0 राजीव बिन्दल जी ने जो मुद्दा

04.04.2016/1405/जेएस/एजी/2

उठाया है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जो कि इस सदन के नेता है उनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है और आज जो अखबारों में छपा है उनके अकाऊंट्स भी सीज़ हो गए हैं, उनको भी सील कर दिया गया है और उस पर चर्चा करने के लिए हमें मौका नहीं मिल रहा है। अखबारों में सारी चर्चाएं हो रही हैं। देश के बड़े-बड़े अखबारों में चर्चा हो रही है कि डॉक्यूमैंट्स इस काम के लिए फोर्ज़ किए गए हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय हमने यहां पर कहा था कि यह तो crisis of confidence ये उलट शब्द हो जाते हैं आजकल स्थिति हिमाचल प्रदेश में ऐसी है कि crisis of confidence की स्थिति हो गई है कि यहां पर मंत्रिमण्डल के सदस्य कह रहे हैं हम तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में विश्वास नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं इसलिए इनकी सरकार चल रही है। जब इनको मुख्य मंत्री के ऊपर विश्वास ही नहीं है उस चीज की शिकायत करने के लिए ये हाई कमांड के पास जा रहे हैं। रोज़ाना इनकी मीटिंग हो रही है। इस प्रकार से यह प्रदेश नहीं चल सकता है। जब तक इस बारे में सदन चर्चा नहीं करेगा कि स्थिति क्या है, सारा प्रदेश स्टैंड स्टिल है,कोई काम नहीं हो रहा है। कोई सड़क नहीं बन रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में .....(**व्यवधान**).....

अध्यक्षः जहां तक किसी पार्टी का सवाल है वह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह पार्टी का अपना मामला है। जहां तक केस की बात है, मैंने आपको कह दिया है कि यह मामला सब ज्युडिस है। इसमें डिस्कस करना माननीय सदन का विशेष अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी एक बार नियम- 67 रिजैक्ट किया था। आप इस मामले को रहने दीजिए बाकी दूसरी चीजें आप डिस्कस कीजिए। I have rejected this case.

04.04.2016/1405/जेएस/एजी/3

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस सारी समस्या के कारण पूरे प्रदेश का विकास ठप्प है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि एक तो इतने दिनों से यह लम्बित मामला यहां पर चल रहा है, अखबारों और सारे मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं।

अध्यक्षः अखबारें तो लिखती रहेगी।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के नेता है। अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उनको इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये जो सारी चीजें छप रही हैं और घटना घट रही है। अगर हैं तो भी और नहीं है तो भी और जैसे कि वे कहते हैं कि मैं तो योद्धा हूं, मैं तो ऐसे बन कर निकलूंगा तो यहां पर कहने से उनको क्या गुरेज़ हैं? अखबारों में तो वे भी कह रहे हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागतः

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। इस माननीय सदन में जो आश्वासन दिये जाते हैं उनके बारे में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वे पूरे नहीं किये जाते। हमारा एक प्रश्न लगा था, यह सारा इस समस्या के कारण प्रभावित हो रहा है। मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि एक महीने के अंदर-अंदर इस प्रश्न का उत्तर सारे माननीय सदस्यों को हर विधान सभा क्षेत्र में भेज दूंगा। यह सवाल 3 मार्च को लगा था और पिछले कल उसको पूरा एक महीना हो गया।

अध्यक्षः आप इसको किसी और रूल के अंदर ले लीजिये। You must move this matter under some Rule?

श्री रविन्द्र सिंहः यह समस्या जो चली है इसके कारण सब कुछ प्रभावित हो रहा है। मुख्य मंत्री का ध्यान केवल उस ओर है। जिन्होंने यहां माननीय सदन में आश्वासन दिये, उनको पता ही नहीं है कि मैंने यहां क्या आश्वासन दिये हैं। इस समस्या को उठाने के लिए वे बार दिल्ली-शिमला, दिल्ली-शिमला जा रहे हैं। कारण कोई भी हो लेकिन इनका सारा मंत्रिमण्डल और अन्य नेता इस समस्या के निपटान के लिए दिल्ली जा रहे हैं। यहां पर वे इस समस्या का निपटारा क्यों नहीं करते हैं? यहां वे इसका जवाब दें। इन्होंने यहां एक प्रश्न का जवाब दिया है। हमारा प्रश्न संख्याः 2701, 3 मार्च, 2016 को लगा और यहां मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सारी सूचना आपके सचिवालय से ली है।

अध्यक्षः अगर आपको इसका जवाब नहीं मिल रहा है तो आप इसको किसी अन्य रूल के अंडर मूव कर लीजिये।

श्री रविन्द्र सिंहः इन्होंने कहा था कि एक महीने के अंदर-अंदर सिर्फ तीन प्रश्नकर्ताओं को ही नहीं बल्कि सारे माननीय सदस्यों को नाबार्ड के माध्यम से कितनी स्वीकृतियां हुई हैं हर विधान सभा क्षेत्र की डिटेल दे दूंगा। यह तो मैंने एक उदाहरण दिया है। पूरे प्रदेश में विकास के काम ठप्प पड़े हैं। कोई विभाग काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या हैं? अध्यक्ष महोदय, कारण यही है कि मुख्य मंत्री जी की जांच चली हुई है। एफ0आई0आर0

दर्ज़ हुई है। सारा-का-सारा ध्यान इस सरकार का और मुख्य मंत्री का अपने को बचाने में लगा हुआ है।

04.04.2016/1410/SS-AS/2

अध्यक्षः कोर्ट को अपनी कार्यवाही करने दीजिये। आप कोर्ट को जांच करने दीजिये। कोर्ट का बीड़ा हम क्यों उठा रहे हैं? कोर्ट का काम हम नहीं करेंगे। कोर्ट का काम कोर्ट को करने दीजिये।

श्री रविन्द्र सिंहः सारा-का-सारा ध्यान इनका उस तरफ है। अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। नियम-67 में चर्चा होनी चाहिए। अब इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी डिमांड गिर गई क्योंकि हमारा कट-मोशन स्वीकार हो गया। अब इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्रीः आपका कट-मोशन गिर गया है।

श्री रविन्द्र सिंहः कट-मोशन गिरा नहीं है। मंत्री महोदय, उसके बाद आप जो मर्जी कहिये।

अध्यक्षः क्या आप डिस्कशन करना चाहते हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी क्या आप सारा ब्योरा दे रहे हैं? This is wrong. This is not the procedure. जब मैं एलाऊ करूंगा तभी आप चर्चा करेंगे। ऐसे आप चर्चा नहीं कर सकते।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। यह सारी घटना घटी है। यह प्रदेश शर्मसार हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सारे विश्व में शर्मसार हो रहा है। यह शांतिप्रिय प्रदेश है और आज मुख्य मंत्री के रहते उन पर आरोप लगे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारा आपसे निवेदन है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्षः मेरी बात सुनिये। मैंने दो बातें कहीं हैं। आप (श्री रविन्द्र सिंह) बैठ जाईये। मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको दो बातें कही हैं। पहली बात तो यह है कि जो पार्टी में हो रहा है उससे हमारा कंसर्न नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मामले कोर्ट में चले हुए हैं उनको कोर्ट देख रहा है। Let the courts do their own work. हमें उससे क्या लेना-देना है? जब कोई मामला आयेगा तो उसके बाद देखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सरकार का नहीं है। सदन का नहीं है। वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और मुख्य मंत्री के पद को ठेस पहुंच रही है। अगर धब्बा लगता है तो प्रदेश पर धब्बा लगता है।

04.04.2016/1410/SS-AS/3

Speaker: Not to be recorded. अगर ऐसे ही बोलते रहेंगे तो रिकॉर्ड मत करो। No recording please. This is wrong thing. यह चर्चा का मामला नहीं बनता है तो मैं चर्चा किस लिये एलाऊ करूं? We cannot discuss the matter which is pending in the court. Not allowed. गलत बात है। This is not being recorded...(interruption)... please sit down.

जारी श्रीमती के0एस0

04.04.2016/1415/केएस/एजी/1

Speaker continue in English..

...(interruption)..... No, not at all. I won't listen anything. ....(interruption)..... No recording. ....interruption..... Not to be recorded. This is not a matter for our discussion. This is not the time for discussion. यह गलत बात है ।

प्रश्नकाल आरम्भ

Question No. 3159,

Speaker: Shri Gulab Singh Thakur (Not interested)

अध्यक्षः ..... (**व्यवधान**)..... आप विधान सभा का काम देखिए बाकी कोर्ट्स देखेंगें। Let the courts do their own work..... (**व्यवधान**)..... आप किस चीज़ की चर्चा चाहते हैं? जब मामला कोर्ट में पैंडिंग है तो यहां उसकी चर्चा नहीं हो सकती। .....(**व्यवधान**)..... Not to be recorded....(interruption)...

04.04.2016/1415/केएस/एजी/2

Question No. 3160,

Speaker: Shri Bikram Singh Jaryal (Not interested)

Question No. 3161

Speaker: Shri Govind Ram Sharma (Not interested)

04.04.2016/1415/केएस/एजी/3

Question No. 3162

Speaker: Shri Satpal Singh Satti (Not interested)
...(**Interruption**)...

अध्यक्ष: यह समय प्रश्नकाल का है। मेहरबानी करके आप प्रश्न पूछिए और प्रश्न का जवाब सुनिए। This is wrong. I don't allow this time to be taken for some other matter. यह गलत बात है। आप प्रश्नकाल को भी खराब करना चाहते हैं।

04.04.2016/1415/केएस/एजी/4

Question No. 3163

Speaker: Shri Krishan Lal Thakur (Not interested)

04.04.2016/1415/केएस/एजी/5

प्रश्न संख्या: 3164

Shri Ravi Thakur: Hon'ble Speaker, Sir, I would like to ask the Hon'ble Health and Family Welfare Minister that till when the vacant posts of Specialists,

Anaesthetist, Radiologist, doctors and pharmacists, will be filled in Lahaul & Spiti?

Health and Family Welfare Minister: Speaker, Sir, It would be the endeavour of the Government to fill-up the vacant posts in Lahaul and Spiti. I admit that there are many posts of pharmacists lying vacant in the district. We are going to fill 80 posts of pharmacists in Himachal Pradesh and we will try to send maximum pharmacist to Lahaul and Spiti so that all the vacant posts of pharmacists will be filled-up. So far as the Specialists are concerned, we have decided to send three Specialist in a phased manner, we will send three specialist doctors for three months for Keylong and after three months other set of doctors will go to the Lahual & Spiti and provide the specialist services to the people of the area. It will be our endeavour to fill up the vacant posts.

...Continue in English by Smt. DC...

4.4.2016/1420/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 3164----------क्रमागत

Sh. Ravi Thakur: I would like to ask the Hon'ble Minister that what is the timeline given by the Department to fill up the post and when the specialists will pass out from Tanda Medical College, will they also be sent as regular posting to Lahaul Spiti?

Health & Family Welfare Minister:- Sir, Government in Principle, has decided to provide telemedicine facilities to Lahaul &Spiti, Kinnaur, Sirmour and Chamba, where institutions are in far-flung areas. In Lahaul&Spiti, we are getting the facilities of telemedicine and people are being benefited from that system. But I assure the Hon'ble Member that whenever the postgraduates

will be available, the Government will try to send them to the Lahaul and Keylong Hospital.

4.4.2016/1420/av/dc/2

<u>प्रश्न संख्या : 3165</u>

श्री अनिरुद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि 10 बागवानों को जो अभी तक 67,20,989/- रुपये की उपदान राशि नहीं दी गई है, इसको जल्दी-से-जल्दी रिलीज किया जाए क्योंकि इनकी सब्सिडी काफी समय से लम्बित पड़ी है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में एकीकृत बागवानी मिशन मुख्य योजना के अंतर्गत बागवानों / किसानों को विभिन्न मदों के अंतर्गत उपदान/सहायता प्रदान की जा रही है। बागवानी मिशन का शुभारम्भ वर्ष 2003-04 में हुआ था। इसके अंतर्गत संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतु पोलीहाउस निर्माण के लिए उपदान देने का प्रावधान है।

मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि वर्ष 2011 में आपके 467 उपदान दर 1000 है। वर्ष 2013-14 में 85 प्रतिशत 467 है और दोनों स्कवेयर मीटर में है। इसमें कोई कमी नहीं होगी। मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि जो आपने सब्सिडी की बात की है उसको रिलीज करेंगे। बागवानी के लिए वर्ष 2013-14 से लेकर 2015-16 तक 15362 वर्ग मीटर क्षेत्रफल लाया गया है और लगभग 123 लाख रुपये उपदान के रूप में दिए हैं।ऐसी बात नहीं है, बागवानों को पूरी सुविधा दी जायेगी।

4.4.2016/1420/av/dc/3

<u>प्रश्न संख्या : 3166</u>

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री जय राम ठाकुर।

(Not interested)

4.4.2016/1420/av/dc/4

प्रश्न संख्या : 3167

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पी0एच0सी0, चंडी 15 पंचायतों का केंद्र है। इसके लिए दो पोस्टें सैंक्शन्ड हैं और दोनों ही खाली है। इसके लिए डॉ.जितेन्द्र सिंह के ऑर्डर पाइप लाईन में है। मैं मंत्री जी से इस आदेश को शीघ्रातिशीघ्र इम्प्लीमैंट करवाने बारे आश्वासन चाहूंगा।

मंत्री : टी सी द्वारा जारी

04.04.2016/1425/TCV/DC/1

प्रश्न संख्याः 3167--क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके चुनाव क्षेत्र में डॉक्टरों की पॉजिशन ज्यादा खराब नहीं हैं। चण्डी में एक बी0एम0ओ0 लगाया गया है तथा एक डॉक्टर जितेन्द्र हमने डप्युट किया है और जो बाकी पोस्टें खाली पड़ी है उसके भरने के लिए निरन्तर प्रक्रिया जारी है। मैं इनको आश्वासन देता हूं कि आपकी जो पोस्टें खाली पड़ी है इनको चरणवद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत भर दिया जाएगा।

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, जो डॉक्टर जितेन्द्र माननीय मंत्री जी ने डप्युट किया है यह गाइनेकोलोजिस्ट है और इन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग की है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इनको यहां पर परमानेंट कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इनका सुझाव है कि जो डॉक्टर जितेन्द्र हमने इनके चुनाव क्षेत्र में डप्युट किया है उसको वहीं पर परमानेंट किया जाये। हम इस बारे में निश्चित तौर पर विचार करेंगे ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सकें।

04.04.2016/1425/TCV/DC/2

प्रश्न संख्याः 3168

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से Hon'ble Minister, I would like to ask about the information laid on the Table of the House that two very important schemes under NABARD have been augmented. One was the improvement of various WSS in the drought hit areas of Nurpur and the total amount sanctioned was 12 crores. As per NABARD norms, in 2014-15, we should have got 2 cores and in 2015-16, we should have got 4.17 crores. But we just got 5.00 Lakhs in the year 2014 -15 and Rs. 30 lakhs in year 2015-16. That means against 6.20 crores we have got only 35 lakhs. Secondly, Speaker, Sir, Rs. 16 cores have been sanctioned for 21 tube wells, we should have got logically 3/4th in the first year (2014-15) and 6.13 crores in the next year. But now we have got Zero rupees not even one paisa. Because this is a very serious matter, so, I would like to ask the Hon'ble Minister where this money has been diverted? Against 16 crores, sanctioned in NABARD Schemes, not even a single penny comes to our constituency and logically in 3 years this money should come to us?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री अजय महाजन ने सैप्लीमेंटरी में कहा कि during the last three years i.e. 2013-2014,2014-2015- and 2015-2016 in Nurpur constituency, I agree that 6 schemes amounting to Rs 3376.11 lakh have been approved under NABARD but one scheme namely c/o LIS Hadal Kapri in Tehisil Nurpur, has been deleted from NABARD and the same stand approved under AIBP(39MIS). So in addition to above, the work of 70 irrigation and water supply schemes are going on under which the three schemes earlier approved under NABARD and three number WSS and one LIS

approved under SCLSP. Two water supply schemes under State head, one number LIS approved under AIBP and 7 numbers of WSS are also approved

04.04.2016/1425/TCV/DC/3

under RDWP are in progress. Scheme wise details as an 'Annexure' will be sent to you. The whole detail will be sent to you.

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, I have lot of respect for the Hon'ble Minister, the question I have asked , I mean I have got the detail that she has given. They are already there. I asked for the two specific schemes.

अध्यक्षः बैठ जाइये प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है। My request is please sit down. (---interruption---) Please go on.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

Sh. Ajay Mahajan: Which I asked specifically there is scheme for 21 tube wells in Nurpur area under NABARD 16 crores was sanctioned for it and for the last two years and right from the beginning not even a single penny is awarded in that scheme.

श्री आर0के0एस0 द्वारा------ जारी।

04/04/2016/1430/RKS/AG/1

Question No. 3168 Continues. . .
Shri Ajay Mahajan Continues . . .

So we are failed to understand that it is a NABARD aided scheme and money should have been there. Logically money should have been there. Where has the money been diverted to? Regarding other scheme (Rs. 12 crores) which I

have asked, against Rs. 12 crores, I have got just Rs. 35 lacs in three years. On these two specific questions, I need an assurance that the money which has been diverted will be brought back into these schemes. और जो नाबार्ड में खत्म होना चाहिए था उस टाईम फ्रेम में यह पैसा वापिस आए।

Speaker: Can the NABARD money be diverted?

Irrigation & Public Health Minister: Diverted. I don't know. But I am telling him. I assure you that I am going to send you the note tomorrow. If you want, then I can give it to you tomorrow. Alright. I am not trying to get something diverted. It is not diverted, but it must be standing there. But I am telling you that I will let you know tomorrow or day after tomorrow. Okay. We are aware of this. The NABARD work is very important. I understand that you should be able to do that.

Shri Ajay Mahajan: I am thankful to the Hon'ble Minister as she has said that day after tomorrow she will give me the information. Besides information, I just want a simple assurance on the Floor of the House that whether the money which is meant for these schemes in Nurpur will come back to these schemes of Nurpur in the time frame awarded by the NABARD.

04/04/2016/1430/RKS/AG/2

Speaker: Hon'ble Minister, he wants to ask about the money which has been diverted. I don't think that NABARD can be diverted anywhere.

Irrigation & Public Health Minister: Speaker, Sir, I have already said if he has any query, I have no objection about it. I will give him the total detail. I have told him that within a week's time we should be able to give him the whole detail.

Speaker: He wants assurance from you.

Irrigation & Public Health Minister: Sure. He has to get the assurance. That is why I am saying, Sir. Thank you.

04/04/2016/1430/RKS/AG/3

प्रश्न संख्याः 3169

श्री कुलदीप कुमारः (अनुपस्थित)

04/04/2016/1430/RKS/AG/4

प्रश्न संख्याः 3170

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्रीः चौपाल निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोडावग में बागवानी विभाग द्वारा जून, 1982 में उप बिक्री केन्द्र खोला गया था। उस केन्द्र का संचालन सन् 1982 से दीपुन्दर बहुउद्देश्यीय सहकारी सभा समिति, मोडावग के किराये के भवन में किया जा रहा था। उस सहकारी सभा ने इस भवन को फरवरी, 2016 में खाली करवा दिया है। विभाग द्वारा ग्राम पंचायत मोडावग में स्थित उप बिक्री केन्द्र को स्थानांतरित नहीं किया गया है। अपितु भवन की उपलब्धता न होने के कारण अस्थायी तौर पर इसकी गतिविधियों का संचालन चौपाल से किया जा रहा है। इसी तरह विभाग ने उद्यान विकास अधिकारी, विकास खण्ड, चौपाल के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायत मोडावग में कमरा उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया था परन्तु उन्होंने कमरा उपलब्ध करवाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। तथापि पंचायत का कोई अन्य व्यक्ति विभाग को यह कमरा विभागीय नियमानुसार उपलब्ध करवा देता है तो विभाग कीटनाशक, फफूंदनाशक दवाइयां या अन्य सामग्री का वितरण पुनः बिक्री केन्द्र मोडावग में करना आरम्भ कर देगा। मैं आपको आश्वासन दे रही हूं कि इसके लिए जमीन का प्रावधान भी कर दिया जाएगा और पैसा भी दे दिया जाएगा। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मोडावग में भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन कर दिया गया है और उसी प्रस्तावित जमीन में विभागीय भवन के निर्माण के लिए 11.25 लाख रुपए का प्राक्कलन तैयार कर दिया गया है। आप जानते होंगे कि 9 लाख रुपए लोक निर्माण विभाग कार्यालय, चौपाल के पास जमा करवाए जा चुके हैं। लेकिन जमीन वन निरीक्षण, एफ.सी.ए. में आने के कारण इसका हस्तांतरण विभाग के

नाम अभी नहीं हो पाया है। परन्तु इसके लिए फैसला हो चुका है, जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी और इस काम को पूरा कर दिया जाएगा।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने पूरी डिटेल में यहां रिप्लाई दिया है और साथ ही आश्वस्त भी किया है कि

श्री एस.एल.एस...द्वारा जारी

04.04.2016/1435/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 3170...जारी

श्री बलबीर सिंह वर्मा ...जारी

जो मोडावग से चौपाल स्थानांतरित किया है उसको जल्दी-से-जल्दी दोबारा मोडावग में ही खोला जाए। मैं माननीय मंत्री महोदया के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मोडावग क्षेत्र बागवानी में हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि एशिया भर में सबसे ज्यादा सेव उत्पादन के लिए जाना जाता है और सेव उत्पादन के क्षेत्र में यह एशिया में प्रथम स्थान पर है। इसलिए उस क्षेत्र में इस ऑफिस का होना ज़रूरी है। इस ऑफिस को हाल ही में स्थानांतरित किया गया है। मैं आग्रह करूंगा कि इस ऑफिस को दोबारा वहीं खोला जाए। इसके लिए वहां पर विभाग को कोई-न-कोई प्राईवेट भवन उपलब्ध करवा दिया जाएगा जिसमें यह कार्यालय खुल सकता है। साथ ही, मडावग में जो HEO का पद वर्ष 2010 से खाली है जिसे पिछले 6 सालों से नहीं भरा गया, इसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया। सेव उत्पादन के इस अहम क्षेत्र में अगर बागवानी से संबंधित अधिकारी नहीं होगा तो बागवानों को निश्चित रूप से बहुत ज्यादा समस्या होगी। आप स्वयं बागवान है। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि आप इस अधिकारी की नियुक्त जल्दी-से-जल्दी करेंगे?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : आपने लंबा प्रश्न पूछा है। मैं आपको बता रही हूं कि HEO का पद नई भर्ती के बाद भर दिया गया है और वह नियुक्त हो गया है। मोडावग में ज़मीन की समस्या है लेकिन उसके लिए भी प्रयास जारी हैं। मोडावग के बारे में मैंने सुना है कि यह सेव के लिए मशहूर है। यह बहुत बढ़िया स्थान है। लेकिन यही बात हिमाचल के कई अन्य सेव उत्पादन से जुड़े स्थानों के लिए भी लागू है। हिंदुस्तान में केवल मडावग ही

केवल एक ऐसा क्षेत्र नहीं है। वह आपका क्षेत्र है, इसकी हमें खुशी है। **हम वहां कमरा उपलब्ध करवाएंगे और यह जल्द-से-जल्द उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके लिए जो पैसा लगेगा वह भी उपलब्ध करवाया जाएगा और बिक्री केंद्र पुनः मडावग से कार्य करना आरंभ कर देगा। यह निर्णय कर लिया गया है कि उप-बिक्री केंद्र मडावग में ही होगा ताकि लोगों को सुविधा रहे।**

04.04.2016/1435/SLS-AG-2

Speaker : Next Question (Question No. 3171) Dr. Rajiv Saizal (Not interested).

04.04.2016/1435/SLS-AG-3

प्रश्न संख्या : 3172

श्री यादविन्द्र गोमा : अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसमें दर्शाया गया है कि आई.पी.एच. विभाग के द्वारा विधायक प्राथमिकता की 12 DPRs बनाई गई हैं। यह सभी लघु सिंचाई एवं पेयजल योजना की स्कीमें हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लिखित उत्तर में जो बजट दर्शाया गया है जिसमें आबंटित बजट और ख़र्च शामिल है, उसके अनुसार थुरल उप-मंडल के अंतर्गत जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में काफी धनराशि ख़र्च हो चुकी है लेकिन पालमपुर मंडल के अंतर्गत जो जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र का एरिया है उसका इसमें एक भी पैसा नहीं दर्शाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या थुरल डिविजन की तुलना में पालमपुर डिविजन की DPRs देर से पहुंची हैं? अगर देर से पहुंची हैं तो इनको कब तक तैयार करवा कर नाबार्ड में पहुंचाएंगे ताकि उनका पैसा जल्दी-से-जल्दी मंजूर हो; इन स्कीमों को गति मिल सके और वहां पर काम हो सके?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसे मैं समझ सकती हूं। वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो धनराशि स्वीकृत की गई थीं उससे पालमपुर में वॉटर सप्लाई पर 38.40 लाख रुपया और सिंचाई योजनाओं पर 61.23 रुपया व्यय हुआ। इसी तरह से थुरल में पेयजल पर 425.23 लाख रुपया और सिंचाई पर 844.10 लाख रुपया व्यय हुआ। इस तरह पेयजय

पर कुल 463.63 लाख और सिंचाई पर 905.33 लाख रुपया व्यय हुआ है। इस तरह से वहां पर वॉटर सप्लाई और सिंचाई स्कीमों पर धनराशि व्यय हुई है जिसका ब्योरा हमने अपने लिखित उत्तर में दिया है।

जारी ...गर्ग जी

04/04/2016/1440/RG/AS/1

प्रश्न सं. 3172---- क्रमागत

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री ---क्रमागत

तो डिवीजनवाईज और ईयरवाईज डिटेल अनेक्श्चर 'ए' पर है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि 905.33 लाख रुपये जो है वह लाभदायक रहा। इसी तरह सिंचाई एवं पेयजल की जो 6 स्कीम्ज हैं, उनको तैयार किया जा रहा है, उनकी डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूंगी। इसमें आपको जल्दी-से-जल्दी फायदा हो जाएगा। मुझे भी चिन्ता हो रही हे कि आप जैसे व्यक्ति को इतना पैसा नहीं मिल पाया। मैं इस बात का यकीन कर सकती हूं। मुझे मालूम है कि आपने बताया था। यदि आप पहले बोलते, तो फिर हम और तेजी करते। लेकिन उस समय शायद आप भी थोड़ा भूल गए होंगे। आपने जो आज बात कही है, मुझे बिल्कुल सही लगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो LWSS यह तीन और चार नंबर का है उसीमें SWSL Kotlu and Jand जयसिंहपुर में, यह भी उसी में है। जयसिंहपुर के दोनों प्लॉट हैं। एक की डी.पी.आर. अप्रूव की है जिसका नाम Kangain-Thambu Water supply project है more than one and half crore Rs का नाबार्ड से है और जयसिंहपुर में। इसी तरह पिछले साल की एक बड़ी स्कीम के लिए टैण्डर कॉल किए गए हैं। इसलिए आप इस बात की चिन्ता न करें। जो कमी रही होगी, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री यादविन्द्र गोमा : अध्यक्ष महादेय, कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिनकी लागत इसमें दर्शाई गई है जैसे इनमें 49.93 हजार रुपये की जो स्कीम है उसमें बजट 0-0 दर्शाया गया है। इसमें कई स्कीम्ज ऐसी हैं जिनमें बजट जीरो-जीरो दर्शाया गया है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि क्या इन स्कीम्ज को प्राथमिकता के आधार पर बजट दिया जाएगा ताकि उनको वहां कार्यान्वित किया जाए जिससे लोगों को सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा वहां मिल सके?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य से कहा कि जिन चीजों में कमी रही है उनको हम पूरा करेंगे और मैंने यह भी बता दिया कि डी.पी.आर. में हमारे क्या-क्या प्रोजैक्ट्स हैं, हमें क्या-क्या फण्ड्ज मिलें। आप

04/04/2016/1440/RG/AS/2

चिन्ता न करें, मैं आपको यह कह रही हूं कि कमी रहती ही है और उन कमियों को पूरा करने के लिए समय लगता है और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि अंग्रेजी क्योंकि आपने पहले भी कोई ध्यान नहीं दिया। यदि आपने ध्यान दिया होता, तो शायद हम आपके साथ तेजी से चल सकते। चलिए, कोई बात नहीं, अब हमने आपको कह दिया, विश्वास दिया है, तो हम उसको पूरा करेंगे।

04/04/2016/1440RG/AS/3

प्रश्न सं. 3173

अध्यक्ष : श्री हंस राज जी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

04/04/2016/1440/RG/AS/4

प्रश्न सं. 3174

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है और जिस दिन यह प्रश्न ऐडमिट हो गया था उस दिन की स्थिति के अनुसार 461 पद वन रक्षक और 87 पद ब्लॉक ऑफिसर के खाली हैं। इतनी रिक्तियां होते हुए भी प्रश्न के 'ख' भाग का आपने उत्तर दिया है 'रिक्तियों का भरा जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है'। यह तो हम भी जानते हैं कि यह निरन्तर प्रक्रिया है। अगर आप इसको निरन्तर में ले जाएंगे, तो ये पद कब भरे जाएंगे? इतनी रिक्तियां होते हुए क्या वन नष्ट नहीं हो रहे हैं? कहीं ऐसा न हो कि इस

प्रक्रिया को करते-करते जंगलों का क्रियाकर्म हो जाए। तो क्या आप एक मुश्त इन पदों को भरने का प्रबन्ध करेंगे?

एम.एस. द्वारा वन मंत्री शुरू

04/04/2016/1445/MS/AS/1

प्रश्न संख्याः 3174 क्रमागत---

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि भाई महेश्वर सिंह जी चिन्तित हैं लेकिन इनसे ज्यादा चिन्तित सरकार है। इनकी चिन्ता को मध्य-नज़र रखते हुए हमने स्पैशल ड्राइव शुरू किया और जितने पद पहले फॉरैस्ट गार्ड के खाली पड़े थे, वे लगभग 400 कुछ पद हमने भर दिए हैं। इसी तरह से दिसम्बर, 2016 तक फॉरैस्ट गार्ड के 465 पद खाली हो जाएंगे। आपने सही फरमाया कि 461 पद प्लस 11 पद, इस तरह से 472 पदों की प्रक्रिया, जैसे 10 साल में प्रक्रिया रही है यह उस ढंग की प्रकिया नहीं है। हमने अब मुख्य मंत्री जी से 465 गार्ड्ज के पदों की परमिशन ले ली है। अब यह मामला केबिनैट में जाएगा और उसके बाद शीघ्र ही उनकी भर्ती की प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। इस तरह से उनको ट्रेनिंग के बाद फिर से बीटों में लगाया जाएगा। इसके अलावा, जहां तक आपने ब्लॉक ऑफिसर की बात कही है तो टोटल 203 पद ब्लॉक ऑफिसर के खाली हैं। उनमें से 112 हमने और प्रमोट कर दिए हैं और अब 87 पद बचते हैं। उनकी भी प्रमोशन की प्रक्रिया जारी है और उनको भी बहुत जल्दी ही प्रमोशन द्वारा भर दिया जाएगा। क्योंकि ब्लॉक ऑफिसर की डायरैक्ट भर्ती नहीं होती है। इसीलिए कॉन्टीन्यू प्रोसैस बोला है कि this is a continue process कि जैसे-जैसे पद खाली होंगे, जैसे-जैसे सीनियोरिटी बनेंगी, उसके मुताबिक हम पद भरते जाते हैं। माननीय सदस्य आपकी चिन्ता दूर कर दी जाएगी।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, जैसाकि सर्वविदित है कि ये पद सर्कल काडर के हैं। फॉरैस्ट गार्ड्ज की सीनियोरिटी सर्कल काडर में रहती है और भर्ती भी वहीं होती है। गतवर्ष आपने सारे स्टेट में इकट्ठी मैरिट लिस्ट बना दी थी। क्या इस बार जब पदों को भरेंगे तो जो आपके नियमों में प्रावधान है, क्या सर्कलशः इनकी सीनियोरिटी रखेंगे और सर्कलशः ही इनकी

सलैक्शन करेंगे? दूसरा, मैंने एक सुझाव बहुत पहले दिया था कि आपकी फॉरैस्ट गाड्र्ज बीट्स बहुत बड़ी-बड़ी हैं और एक ही किस्म का कार्य चाहे आपका गार्ड है, चाहे वाइल्ड लाइफ का गार्ड है, चाहे माइनिंग का गार्ड है या फिशरीज का वॉचर है, करता है।

04/04/2016/1445/MS/AS/2

सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इनको एक नया नाम मल्टीपर्पज गार्ड या मल्टीपर्पज कार्यकर्त्ता देकर क्या छोटी-छोटी बीट्स रखेंगे ताकि माइनिंग में भी इलीसिट माइनिंग का काम सुचारू रूप से रोका जा सके, वनों का भी गार्ड काम देख सके और वाइल्ड लाइफ भी वहीं होती है तथा मछली भी वहीं होती है। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

वन मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने फरमाया है कि मल्टीपर्पज वर्कर टाइप गार्ड भर्ती किए जाएं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें इंडस्ट्री वालों का रोल अलग है, क्लास फोर और क्लास थ्री का है परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे आदेश किए थे कि जो पिछली बार भी आपने सुझाव दिया था कि क्या इस पर संभावना हो सकती है कि नहीं हो सकती है तो उस पर गौर फरमा रहे हैं और जैसे ही कोई संभावना बनेगी उसके मुताबिक अगली कार्रवाई कर दी जाएगी। जहां तक आपने सर्कल की बात की है। यह बात ठीक है कि उनकी सीनियोरिटी सर्कल की है लेकिन जब आप किसी चीज का विज्ञापन देते हैं तो आप उसको सर्कल में सीमित नहीं कर सकते हैं। किसी को आप नौकरी से वंचित नहीं कर सकते। इंटरव्यु कोई भी व्यक्ति दे सकता है। उसके बाद अगर दूसरे सर्कल में इंटरव्यु देता है तो यदि वह उस सर्कल या उस जिला का है तो तीन साल बाद उसकी ट्रांसफर वहां की जाती है फिर उसकी सर्कल की सीनियोरिटी बनती है।

श्री महेश्वर सिंहः आपके भर्ती मैनुअल में राजस्व के लिए भी लिखा हुआ है कि पटवारी उसी जिले का स्थाई निवासी चाहिए। सिमिलरली गार्ड भी उसी सर्कल का ही चाहिए। ये बाहर से आएंगे फिर सलैक्ट होंगे और फिर वापिस जाएंगे। तो फिर यह प्रक्रिया तो निरंतर रहेगी।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

04.04.2016/1450/जेएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 3174ः-------जारी-----

श्री महेश्वर सिंहः-----जारी-------

इसलिए क्या आपने उन रूल्ज़ में परिवर्तन कर दिया है कि इसको सर्कल कैडर न रख कर आपने क्या स्टेट केडर बना दिया है?

वन मंत्रीः इसमें हम देखेंगे कि क्या बैस्ट पॉसिबल है जो कानून के दायरे में होगा वह करेंगे।

04.04.2016/1450/जेएस/डीसी/2

प्रश्न संख्याः 3175

अध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 3176

अध्यक्षः श्री वीरेन्द्र कंवर, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 3177

अध्यक्षः श्री इन्द्र सिंह, अनुपस्थित।

04.04.2016/1450/जेएस/डीसी/3

प्रश्न संख्याः 3178

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर रखी है मैं उसके सन्दर्भ में माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि इसके लि 8,15,69,300/-रूपए वर्ष 2007 में स्वीकृत किए गए हैं। आज तक इसमें 7-8 साल हो गए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो सीवरेज का कार्य रोहड़ू बाजार में चल रहा है वह

बहुत ही धीमी गति से चला हुआ है। आपसे मेरा आग्रह है कि इसको थोड़ा स्पीड अप करने के आदेश दिए जाएं।

माननीय मंत्री महोदय, पांच नम्बर वॉर्ड में तो काम ही नहीं चला हुआ है। इसके आदेश भी दिए जाए ताकि इसका कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या रोहड़ू में नगर एवं ग्राम योजना विभाग का संपर्क कार्यालय खोलने का आग्रह किया था। उसमें आपने उत्तर दिया कि जी, नहीं। इसमें मेरा आपसे आग्रह है कि रोहड़ू नगर परिषद् के अन्दर काफी कन्स्ट्रक्शन हो रही है। लोगों को नक्शे के लिए और उनको पास करवाने के लिए शिमला चक्कर काटने पड़ते हैं। उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि ऑफिस खोलने पर सरकार विचार करें ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है रोहड़ू का जो शहरी क्षेत्र है जो कि सात वॉर्डों में विभाजित है और जो आपकी सीवरेज स्कीम है उसको तीन ज़ोन में बनाया जा रहा है। अभी जो आपका वॉर्ड नम्बर 4 और 5 है, आपने कहा कि वॉर्ड नम्बर-5 में कोई काम नहीं हुआ है वहां पर मेन लाईन डाली जा चुकी हैं लेकिन अभी कोई कनैक्शन नहीं हुए हैं। दो कनैक्शन हुए हैं एक प्राईवेट है और एक एच0आर0टी0सी0 बस स्टैंड का है। वॉर्ड नम्बर-4 में भी मेन सीवरेज़ की लाईन डाल चुके हैं लेकिन वहां पर भी फरदर कनैक्शन जो इन्डिविजुअल ने लेने थे वे नहीं हुए। मैं, माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि शहरी विकास विभाग, आई0पी0एच0 और माननीय सदस्य मिल करके स्थानीय तौर

04.04.2016/1450/जेएस/डीसी/4

पर थोड़ी अवेयरनैस कैम्पेन करें ताकि जल्द से जल्द ये कनैक्शन्ज़ हों। अगर यह होता है तो स्कीम लगभग दो महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।

दूसरे, ख-भाग में जो आपने नगर एवं ग्राम योजना विभाग का संपर्क कार्यालय खोलने की बात की है, उसमें वर्ष 2013 से लेकर अभी तक सिर्फ 53 एप्लिकेशन्ज आई थी और उनमें से सभी को अप्रूवल दे दी गई है और चार उसमें से विद्ड्रा हो गई थी <u>लेकिन फिर भी क्योंकि वह दूर-दराज़ का क्षेत्र है और निरन्तर वहां से मांग आती रही है जब भी सरकार नये कार्यालय खोलेगी तो रोहड़ू में प्राथमिकता के आधार पर कार्यालय खोल देगी।</u>

04.04.2016/1450/जेएस/डीसी/5

प्रश्न संख्याः 3179

अध्यक्षः डॉ0 राजीव बिन्दल, अनुपस्थित।

04.04.2016/1450/जेएस/डीसी/6

प्रश्न संख्याः 3180

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें मैंने तीन वर्षों का ब्योरा मांगा था वह ब्योरा क्रमवार दिया गया है लेकिन अधिकतर कूहलों के माध्यम से पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंचा है। मैं, मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि पैसा तो खर्च हुआ लेकिन पानी क्यों नहीं कूहलों में चलाया गया?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों से

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

04.04.2016/1455/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 3180 क्रमागत

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री ___क्रमागतः

(2013-14 से 2015-16 तक) बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 505.82 लाख रुपये कुहलों के निर्माण पर और 496.16 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन वर्क व रख-रखाव पर 9.66 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। योजनाओं का ब्योरा निम्न प्रकार से है। हम आपको सारी लिस्ट दे रहे हैं। यह टाइप्ड है। आप सोचिये कि पानी नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए? उसमें बड़ी दिक्कत है। साथ में मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस अवधि में 16 कूहलों का निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा किया गया है। जिनकी बकाया राशि का भुगतान बजट उपलब्धता अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा। इसीलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यह तीन साल (2013-14 से 2015-16 तक) का हिसाब-किताब है। इसमें आपको

कूहलों की दिक्कत ज़रूर आई है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि इसमें 496.16 लाख रुपये अभी कंस्ट्रक्शन वर्क पर इंकर्ड हुए हैं। जिसमें काम हुए हैं। 9.66 लाख रुपये का मैंटीनेंस वर्क लगा हुआ है। स्कीमवाइज सारी डिटेल लिस्ट के रूप में उपलब्ध है। पानी की कमी सबसे बड़ी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आपकी कूहलों को बंद किया जा रहा है। केवल मजबूरी यह है कि पानी का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। बारिश भी नहीं आ रही है। यह आपको मालूम है। इस स्थिति की वजह से आपको थोड़ी मुश्किल है। परन्तु मैं आपको बता रही हूं कि काम की कमी नहीं होगी। जैसे पानी जोरों से आयेगा तो कूहलें भी चलेंगी। अभी पानी ही नहीं आ रहा है तो कूहल कहां से चलेगी। यह मैं आपको बताना चाह रही थी।

श्री किशोरी लालः मंत्री महोदया जी ने बताया कि कूहलों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये व्यय हुए हैं। मैं सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि पानी क्यों नहीं आया? कूहलें बन गईं, खड्डों में पानी है लेकिन जो काम हुआ वह ठेकेदारों और अधिकारियों की मर्जी से हुआ। जो कूहलों के हैड हैं वहां काम ही नहीं हुआ। काम नीचे से शुरू करवा दिया। तो इतना धन खर्चने का क्या फायदा हुआ? काम तो कायदे के अनुसार हैड से शुरू होना चाहिए था।

04.04.2016/1455/SS-DC/2

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः आप देखिये, शायद वहां पर काम करने वाले लोग सही काम नहीं कर रहे या उनके ऊपर कोई देख-रेख नहीं हो रही। अगर ऐसी कोई वजह है, आप लोग वहां पर रहने वाले हैं, ऐसी खबरों को हमें हमेशा देना चाहिए। **हम उसमें छानबीन करेंगे कि किस-किस ने हमारा नुकसान किया है।** यह आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको कह रही हूं कि अंडर-ग्राऊंड जो स्टोरेज टैंक बनाये हैं अगर उनको भी पानी नहीं मिला तो बड़े ताज्जुब की बात हो जाती है। **इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि मैं इसके बारे में जरूर पता करूंगी कि कहां-कहां पर लोग गड़बड़ कर रहे हैं।** मेरे पास अब सारे कागज़ात हैं और उनके ऊपर अब कुछ-न-कुछ शिकंजा कसना पड़ेगा। जहां पर लोग बदमाशी कर रहे हैं, पानी नहीं आने देना चाहते या नुकसान करना चाहते हैं तो वह बहुत शर्म की बात है। मैं आपको विश्वास दे रही हैं, आप इस बात का यकीन कर लीजिये।

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैंने कूहलों के बारे में बात की तो स्टोरेज टैंक कहां से आ गये?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सदस्य से बोला कि आप ज़रा हमें बताएं तो हम पता करें कि कौन-कौन गड़बड़ कर रहा है। कहां शरारत हो रही है। मैंने आपके सामने बात की है। अगर आपको इस बात का भी यकीन नहीं आ रहा है तो अब सी0एम0 साहब इसके बारे में बात करने जा रहे हैं।

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्य ने दो कूहलों का ज़िक्र किया है और उसमें पानी नहीं आ रहा है। वैसे तो माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसमें आपके कहने का मकसद यह है कि वहां पानी है फिर भी कूहलों में पानी नहीं आ रहा तो इसकी इंक्वायरी की जायेगी।

04.04.2016/1455/SS-DC/3

प्रश्न संख्याः 3181

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री रविन्द्र सिंह, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 3182

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री गुलाब सिंह, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 3183

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री बिक्रम सिंह जरयाल, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 3184

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री सतपाल सिंह सत्ती, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 3185 जारी श्रीमती के0एस0

04.04.2016/1500/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 3185

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, श्री अनिरुद्ध सिंह जी को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य के लिए हमने बहुत कुछ इंतज़ाम कर रखा है। सूचना सभा पटल पर रख दी गई है, आप देख लीजिए और आप बता दीजिए आपको अपने क्षेत्र में और क्या कमी लग रही है। गत तीन वर्षों में 25 हैण्डपम्प स्थापित किए गए हैं। आप इनका इस्तेमाल कीजिए और किस तरीके से और जगह भी लगाने होंगें तो आप हमें बता दीजिए।

प्रश्नकाल समाप्त

04.04.2016/1500/केएस/एजी/2

<u>साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगें

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार हैः

सोमवार, 4 अप्रैल, 2016- शासकीय/ विधायी कार्य
मंगलवार, 5 अप्रैल, 2016- शासकीय/ विधायी कार्य
बुधवार, 6 अप्रैल, 216- शासकीय/ विधायी कार्य
वीरवार, 7 अप्रैल, 2016 शासकीय/विधायी कार्य तथा गैर सरकारी सदस्य दिवस

04.04.2016/1500/केएस/एजी/3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

शहरी विकास मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेता हूं :

i. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 31 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम(निर्वाचन) संशोधन नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःयु0डी0-ए(3)-7/2011-II दिनांक 11.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.02.2016 को प्रकाशित; और
ii. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःयु0डी0-ए(3)-7/2011-I दिनांक 02.09.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.09.2015 को प्रकाशित ।

04.04.2016/1500/केएस/एजी/4

अध्यक्षः अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

04.04.2016/1500/केएस/एजी/5

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

अध्यक्षः अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा। श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी अभी उपस्थित नहीं है। अब विधेयकों की पुरःस्थापना होगी।

04.04.2016/1500/केएस/एजी/6

विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी व श्री सुरेश भारद्वाज जी सदन में उपस्थित हुए)

Speaker: I will take your matter after it. मैं इसके बाद आपका मैटर ले लूंगा।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।
अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करेंगें।

04.04.2016/1500/केएस/एजी/7

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

मुख्य मंत्री जी अ0व0 की बारी में----

4.4.2016/1505/av/ag/1

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करता हूं।

4.4.2016/1505/av/ag/2

अध्यक्ष : शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 6) पुरःस्थापित हुआ।

4.4.2016/1505/av/ag/3

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करेंगे।

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) पुरःस्थापित हुआ।

4.4.2016/1505/av/ag/4

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) पुरःस्थापित हुआ।

4.4.2016/1505/av/ag/5

नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अब माननीय सदस्य श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी नियम 62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मैंने जब इनका नाम पहले पुकारा था तो ये बाहर थे।

माननीय सदस्य श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय शहरी विकास मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, क्षमा करना। मैं बाहर लॉबी में बैठा था। आपने जैसे ही मेरा नाम पुकारा तो मुझे अंदर आने में थोड़ी देर लगी। लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि आपने सारी परिस्थितियों को सम्भालते हुए नियम 62 के अंतर्गत मुझे दोबारा इस विषय को उठाने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

टीसी द्वारा जारी

04.04.2016/1510/TCV/AG/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर --- जारी।

अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि पिछले साल अक्तूबर से लेकर इस साल के फरवरी महीने तक (5 महीने में) बहुत खौफ़नाक/भयानक और दिल को दहला देने वाली

घटनाएं घटी हैं। आज आप कहीं भी जाएं, आवारा, लावारिस, या लोगों के छोड़े हुए पशु या बन्दरों का आतंक देखने को मिलेगा और तीसरा अब कुत्तों का खौफ़। ये एक बहुत बड़ा भयानक रूप धारण किए हुए हैं और हर समय, हर मौके में ये सारी वारदातें अखबारों/मीडिया के माध्यम से आम देखने को प्राप्त हुई है। ये घटनाएं जहां प्रदेश के हर भाग, हर शहर/गली, हर गांव में घटी, वहां इससे जोगिन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। जिस प्रकार का खौफ़ जोगिन्द्रनगर में रहा है वह किसी सी भी छिपा नहीं है अगर आप अखबारों के माध्यम से उसका अवलोकन करेंगे तो आप यह देखेंगे कि 12 फरवरी के 'पंजाब केसरी' के पेज़ में कुत्तों के खौफ़ की खबर छपी है कि ''जोगिन्द्रनगर में 2 दिन में काटे गये 10 से अधिक लोग" वहीं शिमला की भी खबर छपी है कि "शिमला में मुख्य मंत्री के ओ0एस0डी0 को भी कुत्ते ने काटा" और माल रोड में काटा। यही नहीं जोगिन्द्रनगर में 2 दिन के बाद 'दैनिक जागरण' ने फिर लिखा कि "पागल कुत्तों ने जोगिन्द्रनगर में 10 लोगों को काटा - जोगिन्द्रनगर में दहशत और खौफ़ का माहौल" इन्होंने उसमें न केवल 10 व्यक्तियों के नाम लिखे बल्कि साथ ही फोटो भी छापा जिसके तहत कुत्तों का झुण्ड भी दिखाया गया। अध्यक्ष महोदय, आप आज कहीं भी चले जाएं, आप सुबह माल रोड निकल जाएं या मैट्रोपोल या विधायक सदन के बाहर यदि सुबह सैर करने निकलें तो दरवाज़े में 10-12 कुत्ते भौं-भौं करते बैठे हुए होते हैं। इसके अलावा आप किसी भी गांव,शहर, नेशनल हाईवे,स्टेटे हाईवे पर जाइये आपको या तो आवारा पशु / बन्दर नज़र आएंगे या ये जो आवारा कुत्ते हैं ये आपको दिखाई देंगे। आवारा कुत्ता कब किसको काट दें इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि कौन कुत्ता पागल हो गया है और कौन कुत्ता अच्छा/पालतु है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आवारा पशुओं की तादात हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है उससे भी ज्यादा इन लावारिस कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि जिस प्रकार की प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वह नहीं की गई। यही नहीं जोगिन्द्रनगर में तो इतनी लगातार घटनाएं हो गई कि 3 दिन के बाद फिर खबर छपी 'जोगिन्द्रनगर में पागल कुत्तों का भय'- 'महिला को नौचा',

श्री आर0के0एस0 द्वारा------ जारी।

04/04/2016/1515/RKS/AG/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर...जारी

'2 दिन में 4 और लोग पहुंचे होस्पिटल'। अध्यक्ष महोदय, यह 15 फरवरी की बात है। अभी 3 दिन पहले पंजाब केसरी अखबार में लिखा है कि 'जोगिन्द्रनगर में पागल कुत्तों का आतंक बरकरार'। 'रविवार को जोगिन्द्रनगर के साथ लगने वाले गांव टिक्करू के रोहित, सांगला की स्वायत्तता तथा अन्य गांव की नवाजा देवी कुत्तों का शिकार हुई'। उनके उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। यह औरत इस अखबार में भी दिखाई गई है कि उसे किस प्रकार से कुत्तों ने नौंचा। इन लोगों को एंटी रेबीज के इंजैक्शन भी लग रहे हैं। इसके अलावा 4 दिन बाद तहसील लडभड़ोल से अखबार में खबर छपती है कि 'कुत्तों के काटने से 2 दर्जन लोग घायल' हुए। मैं समूचे तौर पर यह कह सकता हूं कि केवल मात्र जोगिन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र में ही बेशुमार लोगों को कुत्तों ने काटा है। बहुत सारे लोग कुत्तों के काटने के बाद अस्पताल में इंजैक्शन लगाने भी नहीं जाते हैं। कुछ लोग झाड़-फूंक करके भी इसका ईलाज करने की कोशिश करते हैं। मुझे इस बात की हैरानी है कि इन कुत्तों के स्टरलाइजेशन या अन्य उपचार के लिए जिस प्रकार के पग प्रशासन को उठाने चाहिए थे वे पग नहीं उठाए गए हैं। इसी तरह की एक बड़ी दर्दनाक घटना हराबाग में हुई। हराबाग के निवासी श्री गुड्डू की पागल कुत्ते के काटने की वजह से टांडा मैडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई। श्री गुड्डू के पिता का नाम श्री भूरि सिंह है, माता का नाम श्रीमती गीता देवी है, पत्नी का नाम शनिचरी देवी है और 10 वर्ष की आयु का उसका पुत्र भी है। पागल कुत्ते के काटने के बाद श्री गुड्डू को जोगिन्द्रनगर अस्पताल में एंटी रेबीज के इंजैक्शन लगाए गए। मैं भी उसका हाल जानने के लिए परिवार वालों से मिला और उन्होंने कहा कि हमने 2 ही एंटी रेबीज के टीके लगाए। वे इसका पूरा कोर्स नहीं कर पाए। वह एक गरीब आदमी था और मेहनत मजदूरी के लिए इधर-उधर जाता था। जब उसे दोबारा पागलपन का अटैक पड़ा तो वह 23 मार्च को 11.00 बजे जोगिन्द्रनगर अस्पताल में दाखिल हुआ। जोगिन्द्रनगर अस्पताल के विशेषज्ञ डाक्टर ने जब उसका इग्जामिन किया तो पाया कि यह रोगी रेबीज की वजह से पीड़ित है। उसके बाद उसे टांडा अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। वह 4 या 4.30

04/04/2016/1515/RKS/AG/2

बजे के बीच टांडा अस्पताल के मेडिसिन ब्लॉक में दाखिल होता है और रात के पौने 12 या 12 बजे उस व्यक्ति का देहांत हो जाता है। डॉक्टर ने उस व्यक्ति के गरीब मां- बाप या जो लोग उसके साथ थे उन्हें बताया कि इसकी मौत रेबीज की वजह से हुई है। उन्हें मैडिकल

सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है और उसकी डैड बॉडी दे दी जाती है। उसके बाद वे गरीब लोग उसका दाह-संस्कार करते हैं। जब ये सूचनाएं प्रैस वालों को मिली तो प्रैस वाले भी वहां पहुंचे। बाद में जब मुझे पता लगा तो मैं भी वहां गया। मरीज को जब पागलपन का दौरा पड़ता था तो वह पानी के लिए तड़फता था। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हाईड्रोफोबिया बीमारी की वजह से, रेबीज की वजह से जिस प्रकार के सिम्पटम होते हैं उसकी मौत के समय पाए गए। उसका मैडिकल सर्टिफिकेट अब टांडा मैडिकल कॉलेज ने जारी कर दिया है।

श्री एस.एल.एस...द्वारा जारी

04.04.2016/1520/SLS-AS-1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर ...जारी

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें। इसका उत्तर शहरी विकास मंत्री देंगे। ये शहर के बारे में बता पाएंगे जबकि यह सारे प्रदेश की समस्या है। यहां माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी बैठे हैं। आप इसके लिए कोई ठोस नीति लाएं। जैसे आप बंदरों के लिए नीति ला रहे हैं, आवारा पशुओं के लिए नीति बना रहे हैं या गौसदन की बात कर रहे हैं; अवारा कुत्ते तो उन सबसे ज्यादा ख़तरनाक हैं। आप मॉल रोड में ही देख लीजिए। अगर कोई सुबह मॉल रोड में सैर करने निकलेगा, अगर डंडा हाथ में नहीं होगा तो वह बच नहीं पाता। इनकी कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रही है। इसलिए आप इनके लिए कोई एक्ट बनाओ या ऐसा प्रावधान करो कि अन्य जानवरों की तरह ही इनकी भी गिनती हो। आज हजारों की तादाद में ये आवारा कुत्ते हर शहर, हर गली और गांव में आपको घूमते मिलेंगे। यह झुंडों में होते हैं। जैसे बंदर अब झुंडों में अटैक करते हैं, ये भी झुंडों में ही अटैक करने की कोशिश करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनके बारे में भी आप सोचें और इनके लिए कोई नीति बनाएं। इनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए सैंटर्ज़ भी बनाए गए हैं। जोगिन्द्र नगर में भी लाडा के तहत एक सैंटर का निर्माण हो रहा है जहां पर कुत्तों को रखा जाएगा और उनको ऐंटि-रैबीज के या दूसरे इंजैक्शन्ज लगाए जाएंगे ताकि यह पागलपने से बच सकें। मैं यह कहना चाहूंगा कि न केवल जोगिन्द्रनगर में बल्कि सारे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। या फिर कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए कि जैसे पशुओं की गिनती हो रही है, उसी प्रकार से कुत्तों की भी गिनती हो। जब कुत्ता पागल हो

जाता है तो उसको मारना लाज़िमी हो जाता है। अगर उसको मारेंगे नहीं तो वह काटता ही चला जाएगा। जब वह काटता चलता है तो जब जाकर कहीं पानी के पास पहुंचता है और पानी पीता है तो उसकी ऑटोमैटिकली मौत हो जाती है या गांव फिर के लोग उसको मार देते हैं। मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि इस समस्या के बारे में सरकार ठोस नीति बनाए। मेरा अपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से भी यही तात्पर्य है कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार कोई ठोस नीति बनाए ताकि इनकी उत्पत्ति पर रोक लगे। ये अवारा

04.04.2016/1520/SLS-AS-2

कुत्ते हैं और मेटिंग के बाद ये 6-6, 7-7 बच्चे देते हैं। अगर इनकी स्टरलाईजेशन हो तो इनकी तादाद घट सकती है। इनके लिए प्रदेश के अंदर कहीं-कहीं डॉग शैल्टर या हाऊसिज भी बनाने होंगे, तभी इनकी तादाद कम होगी।

मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो व्यक्ति मरा है, यह एक बड़े गरीब अनुसूचित जाति परिवार से संबंध रखता है और रैबीज के कारण इसकी मौत हुई है। हॉस्पिटल से जो डैथ सर्टिफिकेट मिला है, उसके अनुसार भी रैबीज से ही मृत्यु हुई है। लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस परिवार से कंटैक्ट नहीं किया है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, संबंधित मंत्री से भी निवेदन रहेगा कि प्रशासन को कहें कि क्योंकि उस मैडिकल सर्टिफिकेट की ऐंट्री जोगिन्द्रनगर हॉस्पिटल में भी हुई है, टाण्डा मैडिकल हॉस्पिटल में भी हुई है, इसलिए इस ओर गौर करें। वह गरीब लोग हैं और मैंने उनको कहा है कि टाण्डा से मैडिकल सर्टिफिकेट लाओ। अगर वह मैडिकल सर्टिफिकेट लाते हैं और उसमें पाया जाता है कि रैबीज से ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो इसको अननैचुरल डैथ माना जाए। क्योंकि यह डैथ ऑफ इंसीडैंट है, इसलिए राहत मैनुअल के अनुसार जो एक अननैचुरल डैथ के ऊपर मुआवता मिलता है, जो पहले 1.00 लाख रुपया था, बाद में 1.50 लाख रुपया हुआ और अब 4.00 लाख रुपये के लगभग है, वह पैसा उस परिवार को मिले ताकि उनका गुज़ारा हो सके और उस परिवार को राहत मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं। आशा करता हूं कि जिन बिंदुओं की ओर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, उनको ध्यान में रखते हुए आप आगे से इस खौफ़नाक स्थिति को रोकें। इस बार यह स्थिति सर्दियों में पैदा हुई है

जबकि अब गर्मियां आने वाली हैं। गर्मियों के दिनों में तो यह स्थिति और भी उग्र रूप धारण करेगी। इससे पहले की यह उग्र रूप धारण करे,

जारी ...गर्ग जी

04/04/2016/1525/RG/AS/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर-----क्रमागत

इसलिए मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इसके लिए जो ऐहतियात बरतने हैं वे उपायुक्त को हिदायत देकर बरते जाएं ताकि कुत्तों के काटने के कारण लोगों में जो दहशत का माहौल पैदा होता है वह न हो। ऐन्टी रैबीज़ के इन्जैक्शन कई बार अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होते, लोगों को टांडा और जिला अस्पतालों में उन्हें लेने जाना पड़ता है। इसलिए ऐन्टी रैबीज़ के इन्जैक्शन्ज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या दूसरे अस्पतालों में उपलब्ध हों। इस बारे में ठीक दिशा-निर्देश सारे सी.एम.ओज़ और प्रशासन को दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नियम-62 के अन्तर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हाल ही में मण्डी जिले के जोगिन्द्रनगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों द्वारा 250 लोगों को काटने, यह 250 की अखबार की खबर है, हो सकता है कि इससे कम भी हों, लेकिन यह हकीक़त में हैं और हो सकता है कि ये आंकड़े प्रैस ने बढ़ा-चढ़ाकर दिए हों, लेकिन असल में बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए हैं, तथा रैबीज़ से हुई व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति की माननीय शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

04/04/2016/1525/RG/AS/2

अध्यक्ष : अब माननीय शहरी विकास मंत्री इसका उत्तर देंगे।

शहरी विकास मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अन्तर्गत जो माननीय सदस्य श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी ने मामला यहां उठाया है, मैं उसके सन्दर्भ में यह कहना चाहूंगा

कि नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर ने अक्तूबर, 2015 से आवारा कुत्तो को पकड़ने की मुहिम शुरू कर रखी है और अभी तक नगर पंचायत के अन्तर्गत 13 आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है। उसके अलावा नगर पंचायत, जोगिन्द्रनगर के क्षेत्र में वर्ष 2014 से लेकर मार्च, 2016 तक 19 व्यक्तियों को आवारा कुत्तों द्वारा काटा गया है। यह सिविल अस्पताल, जोगिन्द्रनगर की रिपोर्ट के मुताबिक है और वहां कोई डैथ रिपोर्ट नहीं हुई है। हो सकता है कि जो माननीय सदस्य ने बात कही है वह ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति होगा और टांडा में वह उपचार के लिए गया हो। वहां उसकी मृत्यु हुई। जब उसका वहां से मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागज़ात आ जाएंगे, तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि रैबीज़ से उसकी मृत्यु हुई है, तो रिलीफ मैन्युअल के अनुसार पीड़ित परिवार की सहायता की जाए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने शिमला तथा इसके आस-पास इस तरह की घटनाओं की बात की है। नगर निगम, शिमला ने एक बहुत बड़े कैनल का निर्माण यहां किया था। लेकिन किसी कारणवश एक एन.जी.ओ. उच्च न्यायालय में गई जिससे वह भी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है बल्कि वहां एक पशु चिकित्सक के ऑर्डर भी हुए थे। जहां तक शहरी निकायों की बात है, तो म्युनिसपल एक्ट में यह प्रावधान है कि जो ऐसे आवारा जानवर हैं, उनकी कलिंग की जा सकती है, लेकिन एक बार पीछे जब माननीय उच्च न्यायालय ने इसको इनवोक करने की बात कही थी, तो उसके बाद कुछ लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में गए और वहां से इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है। फिर भी मेरा यह मानना है कि जिस तरह से आवारा गाय या बाकी पैट्स, कुत्ते इत्यादि हैं, इनका कैनल खोलने या गौ-सदन खोलने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। माननीय सदस्य का सुझाव आया है, तो रजिस्ट्रेशन का मेरा प्रयास रहेगा कि जो शहरी क्षेत्र हैं, कम-से-कम हम वहां इनकी जनगणना करके पंजीकरण करके यह सुनिश्चित करें कि यह किसका पालतू जानवर है ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना हो, तो उस पर रोक लग सके। मेरा यह भी मानना है कि गौ-सदन और कैनल की बार-बार मांग आती है कि

04/04/2016/1525/RG/AS/3

ज्यादा खोले जाएं। लेकिन जब वे खुलते हैं, तो एक तरह से लोगों के अंदर यह भावना भी आ जाती है कि सरकार सदन खोल तो रही है, हम पशु छोड़ देते हैं, अपने आप इन्तजाम हो जाएगा। इसलिए जब तक जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाएगी, मैं समझता हूं कि इस

पर रोक नहीं लग सकती। **इसके ऊपर एक पॉलिसी कम-से-कम शहरी विकास विभाग शहरी निकायों में ले आएगा ताकि इसके ऊपर रोक लगे।**

एम.एस. द्वारा जारी

04/04/2016/1530/MS/AG/1

शहरी विकास मंत्री जारी-------

जिस प्रकार से आपने तथ्य रखे हैं कि अखबार के अंदर 250 का आंकड़ा आया और इस प्रकार से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। हो सकता है कि यह जो रिप्लाई आया है यह सिर्फ नगर पंचायत के क्षेत्र का हो जबकि उसके बाहर ऐसे मामले ज्यादा हुए हों। अगर विस्तृत रूप से आप और जानकारी चाहते हैं तो वैसे तो हमारे पशु पालन विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से ज्यादा आंकड़े मिल पाएंगे लेकिन क्योंकि आपने यह मामला उठाया है तो मेरा प्रयास रहेगा कि अन्य विभागों से भी इसके ऊपर बात करके जो इसका विस्तृत जवाब होगा, वह मैं अलग से आपको भिजवा दूंगा। जो आपके सुझाव आए हैं उनके ऊपर गौर करते हुए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इसके ऊपर एक विस्तृत पॉलिसी लेकर आएंगे और जिस व्यक्ति की वहां पर मृत्यु हुई है, जैसा आपने कहा है, उसके परिवार की सहायता के लिए भी उपयुक्त धनराशि स्वीकृत की जाएगी। जैसे मैंने आपसे बात कही कि रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया जाएगा, उसका प्रोविजन ऐक्ट के अंदर है लेकिन शहरी निकायों के अंदर तीव्र गति से रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं हुए हैं। हम ये निर्देश देंगे कि जितने भी हमारे शहरी क्षेत्र हैं वे एक समयावधि के अंदर इन रजिस्ट्रेशन्ज को करें ताकि यह पता चल जाए कि जितने भी अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर लोगों के पास कितने ऐसे पालतू पशु हैं।

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसको इन्होंने शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित कर दिया है। यह सर्वविदित है कि शहरी क्षेत्र तो आवारा कुत्तों से भरे हुए हैं ही लेकिन अब गांव भी इससे अछूते नहीं हैं। मेरा तो अनुरोध केवल इतना मात्र था और इसीलिए मैं कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें संज्ञान लें क्योंकि ये एक बहुत ही खौफनाक स्थिति हिमाचल प्रदेश में आ रही है। जैसे बंदरों की समस्या है उससे

भी ज्यादा खतरनाक स्थिति कुत्तों की वजह से प्रदेश में आ रही है। कुत्ता कब किसी को खा दे, पता ही नहीं

04/04/2016/1530/MS/AG/2

होता है। यदि पागल कुत्ता किसी को खा दे तब तो रैबीज का खतरा है ही लेकिन यदि पालतू कुत्ता भी किसी को खा दे तो उससे भी रैबीज के कीटाणु इंसान के शरीर में चले जाते हैं। इसका सारे संसार में कोई इलाज नहीं है। इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाती है। इसलिए यह बड़ी खतरनाक स्थिति है। मैंने जिस गुड्डु नाम के व्यक्ति का यहां जिक्र किया उसकी सूचना मैंने टांडा से अपने स्तर पर कलैक्ट की है। उसकी मृत्यु हाइड्रो फोबिया से हुई है। हाइड्रो फोबिया ही रैबीज की बीमारी का इंग्लिश टर्मिनोलोजी नाम है और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह तुरन्त पीड़ित को राहत दे और एक स्थाई विस्तृत पॉलिसी जो न केवल शहर तक सीमित रहे बल्कि सारे प्रदेश के लिए इन पागल कुत्तों से बचाने या जो लावारिस कुत्ते घूमते हैं इनको रेगुलेट करने के लिए बनाएं। चाहे उसको पशु पालन विभाग बनाए या कोई अन्य विभाग बनाए। यह मैं मंत्री जी से चाहता हूं।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है। मैंने पहले ही कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं कम होनी चाहिए और इस पर भविष्य में अंकुश भी लगना जरूरी है। आपने सुझाव रखा है कि एक विस्तृत पॉलिसी पूरे प्रदेश के लिए बनाई जाए, उसके ऊपर सरकार विचार करेगी और सभी विभागों के साथ चर्चा करके मेरा प्रयास रहेगा कि इस पॉलिसी को हम पूरे प्रदेश के अंदर रेगुलेट करें। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके परिवार की सहायता के लिए भी उचित धनराशि दी जाएगी।

04/04/2016/1530/MS/AG/3

नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव होगा। अब श्री महेश्वर सिंह जी नियम 130 के अंतर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 130 के तहत "प्रदेश में विपणन बोर्ड की कार्य प्रणाली में सुधार लाने तथा सब्जी मण्डियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की नीति पर सदन विचार करे" प्रस्ताव इस मान्य सदन में चर्चा हेतु प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष श्री जे0एस0 द्वारा-----

04.04.2016/1535/जेएस/एएस/1

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार लाने में सब्जी मण्डियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह सदन विचार करें। अब माननीय सदस्य इस पर चर्चा करेंगे।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो सम्भवतः 1977 के उपरान्त जनता पार्टी के शासन काल में तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री, चौधरी चरण सिंह जी ने इस प्रकार की प्रस्तावना की थी और उसके फलस्वरूप देश में और प्रदेश में मार्केटिंग बोर्ड का गठन हुआ और विभिन्न स्थानों पर मार्किट कमेटियों का भी गठन हुआ, जिससे निश्चित रूप से विशेष कर जो छोटे किसान थे, छोटे बागवान थे और गैर मौसम सब्जी उत्पादक थे उनको एक स्थान मिला जहां पर वह अपनी ऊपज बेच सके और निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ समय तक बहुत ज्यादा सुधार भी हुआ और आज भी कई जगहों पर बड़े सुचारू रूप से यह काम चल रहा है। किसान और बागवान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन कुछ समय से देखा गया कि विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कुछ सब्जी मंडिया ऐसी हैं जिनके जो पदाधिकारी हैं, विशेषकर जो वहां पर अध्यक्ष है वह अपनी सत्ता का दुरूपयोग करके मौज़मस्ती कर रहे हैं जो कि किसानों की गाढ़ी कमाई के रूप में, वहां पर मार्किट फीस के रूप में जमा होता है जिससे विभिन्न विकासात्मक कार्य हो सकते हैं। वहां पर डवैल्पिंग होती है, वहां पर मार्केटिंग यॉर्ड बनते हैं, उसको जिस बेदर्दी से उड़ा रहे हैं और वहां पर जंगलराज जैसा फैला हुआ है, इसलिए मैंने उपयुक्त समझा कि इस मामले को मैं यहां पर रखूं। अध्यक्ष महोदय, आप एक बात से सहमत होंगे अगर बाड़ ही खेत को खाना शुरू कर दें तो फिर बाड़ लगाने की आवश्यकता कहां है उसको खुला छोड़ दो? यहां पर बाड़ ही जो कमेटी के लोग हैं, विशेषकर चेयरमैन

अगर ऐसी मौज़मस्ती सभी नियमों को ताक पर रख कर उड़ाएंगें तो फिर समिति के गठन की आवश्यकता कहां रह गई है? मुझे यह समझ नहीं आता कि बीच में प्रदेश स्तर का बोर्ड बैठा हुआ है, उसमें एम0डी0 महोदय हैं। किस प्रकार से यह मनमाने ढंग से काम चल रहा है? यह चिन्ता का विषय है। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया तो फिर किसानों व बागवानों को बहुत ज्यादा क्षति

04.04.2016/1535/जेएस/एएस/2

पहुंचने वाली है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय, विशेषरूप से इस ओर ध्यान देंगे क्योंकि जो आर्थिक ढांचा इन सब्जी मंडियों का और बोर्ड का है वह चर्मरा गया है। कहां तक ये लोग गए हैं मैं आगे विस्तार से यह बात कहूंगा? अगर इस प्रकार से आपने कार्रवाई नहीं की तो ये तो ऐसे महानुभाव बन गए जैसे एक कहावत है कि चुहिया को मिली हल्दी की गांठ और वह बन गई पंसारी। वे पंसारी बन गए। गाड़ी का इस्तेमाल कैसे होता है? सबकुछ मैं आपके सामने रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर लाना चाहूंगा कि इस बार जब ये मुख्य मंत्री बनें तो पहला दौरा कुल्लू का वर्ष 2013 में हिमाचल दिवस 15 अप्रैल के दिन ढालपुर के ऐतिहासिक मैदान में एक उप सब्जी मंडी खोलने की घोषणा की लग घाटी के लिए और कुछ अन्य घोषणाएं की। अब मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा मायनें रखती हैं। उसके साथ-साथ एक सब्जी मंडी बन्द्रोल की घोषणा की। मुख्य मंत्री के कार्यालय से आदेश गए और उन आदेशों का पालन करते हुए एम0डी0 महोदय ने वहां टैक्निकल कमेटी भेजी। टैक्निकल कमेटी एक्सियन की अध्यक्षता में बनती है। उन्होंने उस जगह की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दी और बन्द्रोल की भी रिपोर्ट बन गई और रिपोर्ट बनने के बाद एक औपचारिकता होती है कि जो वहां की मार्केट कमेटी है वह उसके समर्थन में प्रस्ताव देगी। अब इन लोगों की हिम्मत देखिए। टैक्निकल कमेटी ने जिस जगह को चयन किया और जिस जगह के लिए बोर्ड ने लिख दिया, जिलाधीश महोदय ने कार्रवाई शुरू कर दी

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

श्री महेश्वर सिंह क्रमागतः

कि यह वन भूमि है इसको सब्जी मंडी के नाम से एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट में ट्रांसफर किया जायेगा, वह नहीं हो पाया। जबकि वह हो रहा था। उसकी प्रक्रिया को किस चीज़ ने रोका? सिर्फ एक प्रस्ताव ने। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या ये जो सब्जी मंडी के जिला के अध्यक्ष महोदय या सदस्य हैं ये कोई टेक्निकल लोग हैं जो यह कहें कि यह जगह उचित नहीं है इसलिए सब्जी मंडी नहीं खुलेगी? उसके बाद गत वर्ष दोबारा मुख्य मंत्री जी का प्रवास लगघाटी का हुआ। मैंने स्मरण दिलाया और इन्होंने मौका देखा। इन्होंने कहा कि यह जगह तो ठीक है, दोबारा निर्देश दिये तो दोबारा प्रक्रिया शुरू हुई। ताज्जुब की बात है कि दोबारा से जो हठधर्मी व्यक्ति है उसने प्रस्ताव कर दिया कि यहां पर नहीं बन सकती। बहाना क्या लिया कि कुल्लू शहर में अखाड़ा बाज़ार में जो सब्जी मंडी है वह घाटे में पड़ जायेगी। सत्यता यह है महोदय, यहां सरकारी लोग भी बैठे हैं। मैंने इस संदर्भ में एक प्रश्न भी पूछा था। वह प्रश्न संख्याः 2795 है कि इस सब्जी मंडी में कितनी अतिरिक्त आय है। कहा गया कि आय है। दूसरे प्रश्नों को कहा कि बाकी प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते। लेकिन फिर मैंने पूछा कि वहां गड्ढे पड़े हैं, बुरी हालत है, वहां सब्जी मंडी चल ही नहीं सकती क्योंकि आढ़ती कोई नहीं जाते तो इसका लाभ क्या है? इस जगह को छोड़ दिया जाए और यह भी सत्यता है कि जितने किसान हैं वे या तो बंदरोल जाते हैं या भुंतर जाते हैं। वे कुल्लू की उप-सब्जी मंडी में नहीं जाते क्योंकि वहां पर उनको उपज की सही कीमत नहीं मिलती। वहां पर बैठने को प्रॉपर जगह नहीं है। कीचड़ और गन्दगी भरी हुई है। तो कहा कि इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि घाटा नहीं है। इसलिए यह बात नहीं है। फिर एक "ग" भाग के उत्तर में दिया कि इसके विकास के लिए यहां यार्ड बनेंगे और उसमें 54 लाख रुपये का प्रावधान है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि यह भुंतर सब्जी मंडी के लिए है या उस उप-सब्जी मंडी के लिए है जहां पर कुछ बिकता ही नहीं। यह किस के लिये है? महोदय, इस प्रकार से इन्होंने बात टाली। मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जब मैं राज्यसभा में था तब भी इस जगह का चयन हुआ था। तब भी फिजीबिलिटी रिपोर्ट पक्ष में आई थी। तब भी तत्कालीन उप-समिति ने रिक्मेंडेशन की थी कि यहां सब्जी मंडी बने। यह रिकॉर्ड है। Record will speak for itself. लेकिन उतने में सत्ता परिवर्तन हो गया। आगे

04.04.2016/1540/SS-AG/2

काम नहीं बढ़ सका। मुझे तो यह भी समझ नहीं आता कि एक दफा जहां फिजीबिलिटी रिपोर्ट मिल गई, वह भी एक नोमिनेटिड समिति थी, उस सब्जी मंडी की उप-समिति ने एक प्रस्ताव दे दिया तो दोबारा एम0डी0 महोदय को यह प्रस्ताव मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन प्रश्नों के उत्तर आयेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। महोदय, ताज्जुब की बात देखिये। उस अखाड़ा बाज़ार वाली उप-समिति में एक कार्यालय है और उस कार्यालय में चेयरमैन महोदय विराजमान होते हैं। उस कार्यालय की मुरम्मत में कितना खर्च हुआ? 8 लाख रुपया। आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि ज़रा उस ऑफिस को देखिये। आपका ऑफिस किस काम का है जितना बड़ा चेयरमैन का है और सैक्रेटरी का भी वहीं ऑफिस है और वहां कोई कार्य गतिविधि नहीं है। मेन सब्जी मंडी आपकी भुंतर में है और इसमें कहीं भी फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं है। मनमाने ढंग से टेंडर किये। ठेकेदार आज तक रो रहा है, उसको पैसा नहीं मिला क्योंकि उस समय मैंने इस पर प्रश्नचिन्ह लगाया और आपके माध्यम से प्रश्न पूछा था। खेद का विषय यह है कि डर के मारे न तो एम0डी0 महोदय मौके पर आते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा कि आप भी टाल-मटोल करते हैं। सी0पी0एस0 महोदय रोहित ठाकुर जी बैठे हैं, इनको दस बार निमंत्रण दिया तो कहते हैं कि भईया हम जा कर क्या करेंगे, वह बहुत ऊंचा आदमी है हमारे को पूछता ही नहीं है। हमारी परवाह नहीं करता। ऐसा आदमी बनाया है जो मंत्री को नहीं सुनता है। --(व्यवधान)-- उसका मैं बताऊंगा। मुझे पूरी बात करने दीजिये। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम क्या करें? कहां जाएं? 8 लाख रुपया सिर्फ साज़-सज्जा में लगा दिया। अगर वहां के रास्ते में गड्ढे भरने को खर्च किया होता तो समझ में आता।

जारी श्रीमती के0एस0

04.04.2016/1545/केएस/एजी/1

श्री महेश्वर सिंह जारी----

रोक लगी है, इन्क्वायरी चली है। आपने आश्वासन दिया कि इसकी छानबीन होगी। अभी तक वह रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। सम्भवतः आप इस बार रखेंगें और कार्रवाई भी होगी। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ,

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं। फिर 2015 में ब्रेकफास्ट हुआ। मुख्य मंत्री जी को निमंत्रण आया, सब लोग आए, चेले चांटें बहुत आए, आप तो नहीं थे और अपने पाप छिपाने के लिए दोनों तरफ शामियाना लगा, टैंट लगा, वैल्कम बना और सीधा दफ्तर में। पता करिए कि दफ्तर की पेमैंट क्यों नहीं हुई? ठेकेदार का क्या कसूर है? कसूर तो खुद किया है। क्या किसी चेयरमैन को अधिकार है कि वह टैंडर के बिना ही किसी को काम दे दें, मन-माने ढंग से पेमैंट करें ?इसके अतिरिक्त जो अंदर साज-सज्जा का सामान है उसके लिए स्वीकृति मिली है, वह और है। ये आठ लाख रुपये तो सिर्फ दफ्तर की मुरम्मत के लिए है। महोदय, इसके बाद गाड़ियों के बारे में कहूंगा, सुविधाओं के बारे में कहूंगा। आपका नियम क्या कहता है कि सब्जी मण्डी को जो गाड़ी दी जाती है, क्या वह केवल चेयरमैन के लिए है? क्या वह पूरी सब्जी मण्डी के लिए है और क्या यह सत्य नहीं है कि अगर कमेटी के चेयरमैन को टूअर पर जाना है तो टूअर एप्रूव एम.डी. या बोर्ड बैठकरकरेगा ? किसी भी एक टूअर की वहां पर क्या अनुमति ली है? इन गाड़ियों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मंत्री के घर गाड़ी खड़ी रहती है। पहले उस पर नीली बत्ती थी अब हमारी तरह पीली बत्ती लग गई है। हमारे और उसमें कोई अन्तर नहीं है। क्या उनको अधिकार है? और इस गाड़ी का इस्तेमाल केवल चेयरमैन करता है। जैसे कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, धीरे-धीरे उसका अनुसरण तीन-चार चेयरमैन और कर रहे हैं। ऐसे भी चेयरमैन हैं जिन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे महानुभाव एक शिमला में है और एक सोलन में है, ऐसा बताया गया है। अंकुश नहीं लगेगा तो सभी ये काम करेंगें और इनको अलाऊ कितना है? दो लाख रु0 फ्यूल

04.04.2016/1545/केएस/एजी/2

चार्ज़िज़ और फिर गाड़ी की मेंटिनैंस । इनका बिल कितना है, महोदय, कुल्लू के चेयरमैन महोदय की गाड़ी का तीन सालों का लेखा-जोखा यहां है। उनका जो बिल है वह एक साल का साढ़े चार लाख रु0 है। दूसरी साल का चार लाख पच्चत्तहर हज़ार, तीसरे साल का दिसम्बर तक का तीन लाख है। अगर तीन साल का जोड़ करें तो यह साढ़े छः लाख बैठता है और बिल हो गया बारह लाख परन्तु उनको कोई फर्क नहीं है। वे आनन्द से ड्रॉ कर रहे

हैं। एम.डी. या बोर्ड की कोई वहां पर स्वीकृति नहीं है। सचिव बिल बनाता है और पेमैंट के लिए आपका अकाऊटैंट सब्जी मण्डी में बैठा है। इसकी छानबीन करिए। बिना बोर्ड की अनुमति से कैसे यह पैसा पे हो गया? बिल कहां पास हुआ, इसका पता करना होगा। अगर ऐसे ही काम चला रहा तो क्या होगा? आपके ध्यान में हम पीछे आऊटसोर्सिंग की बात लाए। आपने कृपा कर उसमें विसंगतियां पाई और रोक लगा दी और बाद में हट गए लेकिन वे अपने मनमाने ढंग से चलते हैं। भुन्तर सब्जी मण्डी सबसे पुरानी और बड़ी सब्जी मण्डी है। आपको ताज्जुब होगा कि वह फोरैस्ट डिपार्टमैंट की जमीन है, एग्रिकल्चर के नाम आज तक जमीन नहीं लग सकी। मेरे अनथक प्रयासों के बावजूद अभी तक भी प्रोसैस में है। लोगों ने परिसर के भीतर अतिक्रमण कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दी और ऐसे भी महानुभाव हैं, जो सब्जी मण्डी में, यार्ड में कोई जगह उपयोग नहीं करते न व्यापार करते हैं। दुकान अपनी चलाते हैं और स्टोर इनके यहां है। क्या सब्जी मण्डी में किसी दुकानदार का स्टोर हो सकता है ? और महामहिम् की अपार कृपा से मन-माने ढंग से दुनिया बसी हुई है। । कोई पूछने वाला नहीं है और ऐसी कहावत वहां चरितार्थ होती है कि अंधा बांटे रेवड़िया, मुड़-मुड़ अपने को दे।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

4.4.2016/1550/av/ag/1

श्री महेश्वर सिंह ------- जारी

हम इन बातों को कब तक सहन करेंगे? माना कि नोमिनेशन में कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाता है। लेकिन यदि दाढ़ी से लम्बी मूछ हो जाए और उसको काटोगे नहीं तो सर्वनाश हो जायेगा। मुझे लगता है कि इन पर कार्रवाई करने का समय आ गया है। एक और बात कहना चाहता हूं कि भुन्तर की सब्जी मंडी में नगर पंचायत का एक स्लोटर हाउस चलता है। वहां ऐसी बदबू रहती है कि कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता। स्लोटर हाउस अकेला स्लोटर हाउस नहीं है, slaughter house cum shed for goats and sheep. मनमाने ढंग से उसी में रखते हैं और वहीं काटते हैं। वहां न तो प्रोपर ड्रेनेज है और न ही कोई सफाई की व्यवस्था है। वहां खड़े होने पर बदबू आती है। मैंने वहां पर खड़े लोगों से पूछा कि क्या तुम्हें बदबू नहीं आती? यह मौका एम0डी0 महोदय ने भी देखा है। बाहर से जो लोग आते हैं उनको बदबू आती है, वहां उन लोगों को नहीं आती तो इसका मतलब उनमें वह बदबू रच

गई। वे वहां बैठे रहते हैं। मैंने उसके लिए लाडा के अंतर्गत पैसा सैंक्शन करवाया कि बाहर जाकर एक हाइजीनिक स्लोटर हाउस बनाए। मगर उस पैसे का इस्तेमाल भी नहीं किया। कौन करेगा, क्षेत्र किसका है? मार्किट कमेटी उसकी मालिक है। एग्रिकल्चर डिपार्टमैंट अभी मालिक तो नहीं है लेकिन पोजैशन तो है। उसके पास इतनी भीड़ लगती है कि टूरिस्ट सीजन में वहां घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। वहां पर किसान आते हैं और घंटों बैठे रहते हैं। कोई रास्ता नहीं है। आपके कृषि विभाग ने कोई आपत्ति नहीं की और होते-होते वहां पूर्व नगर पंचायत ने मुख्य स्वागत द्वार पर शौचालय बना दिए, वहां पर शौचालय बने हैं। वहां एक बाबा बैठा हुआ है। उसने बहुत सारे कुत्ते पाल रखे हैं और जैसे यहां पर कहा गया कि वे कुत्ते सबके लिए आफत बनी है और लोगों को काटते हैं। मगर कोई प्रबंध नहीं किया जाता। यह समाचार पत्रों में भी छपा है कि "अध्यक्ष बिना अनुमति के भी करते रहे टूअर।" तीन को छपा है, आप पढ़ लेना। मैं पढूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। मैंने इस बारे में प्रश्न पूछे लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब महोदय, एक बड़ा विचित्र टूअर लगाया। टूअर के लिए अनुमति बोर्ड ने दी। क्या टूअर लगा कि हमें बाकी जगह की सब्जी मंडियां

4.4.2016/1550/av/ag/2

देखनी है ताकि हम यहां पर सुधार ला सकें। यह एक ऐजुकेशनल टूअर लगा। इसके लिए बोर्ड ने अनुमति दी कि अध्यक्ष, सचिव और सदस्य जाएं। वहां मार्किट कमेटी के जो मनोनीत सदस्य हैं, वे जाएं। यह तो अप्रूवल थी। लेकिन गया कौन? जो दो चेयरमैन गये वे अपने साथ मनमाने ढंग से आदमी ले गये। अनुमति के मुताबिक कुल्लू से चेयरमैन महोदय गये मगर सेक्रेटरी को नहीं ले गये। वहां पर वर्क सुपरवाइजर क्योंकि निरमंड से सम्बंध रखता है, वह गया। कमेटी के साथ सचिव नहीं गया, कोई क्लर्क गया। इनकी कमेटी से भी दो मैंम्बर गये और कुल्लू से भी दो गये। वहां गये श्री तेज राम कश्यप, ए0पी0एम0सी0, कुल्लू के पर्यवेक्षक। पता नहीं पर्यवेक्षक कौन सा पद है। ये क्यों गये क्योंकि निरमंड के हैं। माननीय सदस्य श्री खूब राम जी को भी पता होगा और शायद ये भी कुछ बोलेंगे। श्री लोचन देव शर्मा, मै0अम्बिका फूड कम्पनी (आढ़ती); क्या आढ़ती के लिए भी टूअर होता है? दूसरा आढ़ती निरमंड से श्री मुकेश शर्मा तथा किसान के नाम से श्री विजेन्द्र शर्मा, श्री घनश्याम शर्मा और श्री कुलभूषण शर्मा; सभी निरमंड के पूजनीय शर्मा गये तथा बाकियों को अवसर नहीं मिला। यह कैसा टूअर है? टूअर भी हवाई जहाज द्वारा किया गया। इसके लिए दोनों समितियों ने तीन-तीन लाख रुपये ऐडवांस लिए। मेरी जानकारी के अनुसार

टूअर का लेखा-जोखा नहीं आया क्योंकि मेरे प्रश्न का अभी उत्तर नहीं आया। ये मौज-मस्ती करने के लिए निकले और कैसे निकले तथा कहां गये; यह सब हास्यास्पद है।

टीसी द्वारा जारी

04.04.2016/1555/TCV/AG/1

श्री महेश्वर सिंह --- जारी।

वैसे तो हम भी कमेटी टूअर में जाते हैं, माननीय समितियां जाती है लेकिन जो जिस उद्देश्य से जाता है उसकी पूर्ति करना आवश्यक है। उसके बाद फ्री समय में वहां मन्दिर में दर्शन करना समुद्र में नहाना ये कौन नहीं करता है। लेकिन इसमें जानकारी आनी चाहिए कि जो टूअर किया गया, उसका आऊट कम क्या निकला। इन्होंने वहां कौन सी चीज़ देखी जिसका अनुसरण करके हमारा यहां पर लाभ होगा? आपकी जानकारी के लिए केरल में कोई सब्जी मण्डी नहीं है। फिर ये वहां क्या देखने गये? ये कोम्वलम बिच, कन्याकुमारी और कहां-कहां गये भगवान जाने। ये आन्ध्रप्रदेश भी गये है, अब आध्रप्रदेश में एक चीज़ का प्रूफ़ तो है कि ये शायद तिरूपति गये होंगे क्योंकि मुण्डन संस्कार करके आए हैं। ये भी हो सकता है कि वह भी कहीं पिंडदान में किया हो क्योंकि वहां तीर्थ स्थान बहुत है। फिर ये कर्नाटक में गये, कम से कम इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। कैसे ये टूअर पर इतने लोगों को लेकर गये? ये दोनों महानुभाव 19 लोगों की बारात लेकर गये हैं। मैं आपको ये फोटों दूंगा अभी आप इसको देखने के लिए स्ट्रैस न दें। ये मैं आपको दूंगा। इस फोटो में देखिए (फोटो दिखाते हुए) ये किसानों के प्रतिनिधिगण निक्कर लगाये चले हुए हैं। ये क्या टूअर है? कोई भी अधिकारी इनके साथ नहीं है। टूअर की रिपोर्टिंग कौन लिखेगा? टूअर में रिपोर्टिंग लिखी जाती है, कहां -कहां गये, यह लिखा जाता है? एक फोटो देखा, उसमें मुंडन संस्कार करते दिखाई दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये 4 फोटों तो आपकी अनुमति से मंत्री जी को प्रस्तुत करूंगा ताकि मंत्री जी इनका अवलोकन करें। मेरे पास ऐसे कोई 100 फोटों हैं। इस बात को लेकर मेरे कुछ प्रश्न है, मुझे विश्वास है आप उसकी पूरी छानबीन करेंगे। महोदय, क्या यह सत्य है कि इस टूअर के लिए चेयरमैन की हैसियत से 3-3 लाख का दोनों कमेटियों ने अडवांस लिया है? क्या इतने लोगों के प्रवास के लिए हवाई यात्रा पर्याप्त/संभव थी, क्या टूअर प्रोग्राम की रिपोर्ट मार्किटिंग बोर्ड में पहुंच चुकी है, शेष का खर्चा कहां से आएगा? यदि यह हवाई यात्रा होगी तो ये 26-27 लाख का खर्चा

होगा और फिर इसको कौन देगा? क्या इसी कमेटी पर इसका बोझ डाला जाएगा? यदि इसका भुगतान बोर्ड करेगा तब तो ये खर्चा लोगों/किसानों की जेब से आएगा जो उनके वहां पर

04.04.2016/1555/TCV/AG/2

डिवैल्पमैंट के लिए खर्च होना था। जैसा मैंने पहले कहा समितियां टूअर पर जाती है, थोड़ा बहुत साईटसीन भी करती है, हम भी करते हैं लेकिन जिस उद्देश्य से ये इस टूअर पर गये उससे कितना लाभ पहुंचा और कितना उद्देश्य पूरा हुआ, महोदय, ये जानकारी मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप कहते हैं कि इन्क्वायरी हो रही है लेकिन कौन सा कारण है कि इन्क्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई? आपने भी आश्वासन दिया और इन्क्वायरी आश्वासनानुसार हुई लेकिन अगर दोषी को सज़ा नहीं देंगे तो खरबूज़े को देखकर खरबूज़ा भी रंग बदलेगा और इन समितियों के माध्यम से बंटाधार होगा। इस तरह से लोगों का पैसा समाप्त हो जाएगा। पहले भी मार्किटिंग कमेटियों के माध्यम से छोटे-छोटे मार्ग बनाने का प्रयास किया गया था और उन्होंने यह अपने तौर पर किया था लेकिन एफ0सी0ए0 की क्लीयरेंस नहीं थी, सर्वे नहीं करवाया गया, सड़क का ग्रेड ठीक नहीं था और फिर टैक्निकल नो हाऊ न होने के कारण वह सड़कें बरबाद हो गई। बाद में सरकार ने कृपा कर उन सड़कों को लोक निर्माण विभाग को सौंपा और जो कुछ सड़कें ठीक बनी थी वे लोगों के काम आ गई। इन लोगों ने ऐसा कुप्रयास फिर किया था, जिसका ये सदन गवाह है। ये कुछ लोग ऐसे है जो यहीं देखते हैं कि कैसे लूट मचाई जाये। क्या ये सब्जी मण्डी लूटने के लिए है? आप ये बताईये कि 3 वर्ष में कौन सा विकासात्मक कार्य सब्जी मण्डी, कुल्लू में हुआ जोकि 'ए' क्लास सब्जी मण्डी है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा------ जारी ।

04/04/2016/1600/RKS/AS/1

श्री महेश्वर सिंह...जारी

क्या यह सब्जी मंडी लूटने के लिए है? आप यह बताइए कि 3 वर्ष में कौन सा विकासात्मक कार्य सब्जी मंडी कुल्लू में हुआ जो कि 'ए' क्लास सब्जी मंडी है? पैसा होने के बावजूद भी

वहां पर अभी तक यार्ड नहीं बने हैं। मैंन मंत्री जी से वहां पर आने के लिए आग्रह किया था परन्तु वे वहां पर नहीं आए। उन्होंने इस बात पर टाल मटोल कर दिया। रोहित जी भी वहां पर नहीं आए। कम-से कम कोई तो वहां पर आए, वहां की वस्तुस्थिति को देखें, उस पर समूचित कार्रवाई करें ताकि इस लूट पर रोक लगें और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए। अन्यथा ऐसा ही चलता रहा तो यह कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि 'बाड़ ने ही खेत को खाकर खत्म कर दिया'। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

04/04/2016/1600/RKS/AS/2

Speaker: Shri Suresh Bhardwaj ji you want to speak?

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आदरणीय महेश्वर सिंह जी ने नियम-130 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस सदन में लाई। "प्रदेश में विपणन बोर्ड की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने तथा सब्जी मंडियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की नीति पर यह सदन विचार करें" हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से 90% कृषि प्रधान प्रदेश है। केवल मात्र 6-7 लाख आबादी शहरों में रहती है। बाकि कृषि या बागवानी के आधार पर प्रदेश की आर्थिकी चलती है। इसके लिए प्रदेश में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई है। उस मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत ट्राईब्ल जिला को छोड़कर हर जिला में एक मार्किट कमेटी बनाई गई है। शिमला और किन्नौर जिला की मार्किट कमेटी इकट्ठी बनी हुई है। इन कमेटियों का मूलभूत कार्य यह है कि जो उत्पादक हैं, कृषक हैं उनको अपनी उपज बेचने में सहायता करें, उन सब्जी मंडियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। वहां पर जो व्यापारी, आढ़ती, या कमीशन एजैंट है वे इस तरह का काम करते हैं जिससे कृषकों और बागवानों को नुकसान पहुंचता है। उस पर इंटरवीन किया जाना चाहिए तथा सब्जी मंडी में कृषकों व बागवानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर बहुत सी सब्जी मंडियां बनी हुई हैं। जैसे शिमला में एक ही सब्जी मंडी हुआ करती थी लेकिन इस सब्जी मंडी में मार्केटिंग बोर्ड, मार्केटिंग कमेटी की ओर से कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दे रखा है कि इस सब्जी मंडी को बदल कर सड़क के किनारे बाईपास रोड़ पर बनाया जाएगा। मेरा माननीय मंत्री जी और मार्केटिंग बोर्ड से यह निवेदन है कि इस कार्य को एक्सपेडाइट करवाया जाए। शिमला में दाड़नी के बगीचा में नगर

निगम की जमीन है। यह जमीन सब्जी मंडी के लिए उपयुक्त है और आपने इसको देखा भी है। अगर आप इसके लिए प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि शिमला जो मार्किट की दृष्टि से समाप्त होता जा रहा है, यहां का सम्पूर्ण व्यवसाय

04/04/2016/1600/RKS/AS/3

समाप्त होता जा रहा है उसको हम दोबारा से रिवाईव कर सकते हैं तथा शिमला शहर के बीच के हिस्से की कंजैशन को भी समाप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बहुत सारी मार्किट कमेटियां बनी हैं, रोहड़ू में सड़क के किनारे एक भवन बनाया गया है, वहां पर सब्जी मंडी प्रारम्भ की गई है। जब सेब का सीजन होता है तो

श्री एस.एल.एस...द्वारा जारी

04.04.2016/1605/SLS-AS-1

श्री सुरेश भारद्वाज ...जारी

उससे रोहड़ू बाजार में पहुंचना, रोहड़ू की ओर जाना या वहां से वापिस आना एक मुश्किल का काम हो जाता है। शायद उस प्रकार का जॉम आजादपुर मण्डी में भी नहीं होता होगा। अब मुख्य मंत्री जी ने नए सिरे से दूसरे स्थान पर शिलान्यास किया है लेकिन अभी तक उसका काम प्रारंभ नहीं हुआ। खड़ापत्थर में मार्किट है, चौपाल के नेरवा में मार्किट है और ढली में भी मार्किट बनाई गई है लेकिन उनमें भी पूरी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है, जो मार्किट कमेटियां बनाई हैं, उनके चेयरमैन और मैंबर्ज़ बनाए हैं वह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने लालबत्ती के बारे में जब अपनी जजमैंट दी थी, उसमें बेसिकली विधायक, सांसद या कॅंस्टिच्युशनल अथौरिटीज टारगेट नहीं थे। न्यायालय का टारगेट था कि आपने इतनी थोक में बत्तियां बांट दी हैं जिससे यह पता ही नहीं चलता कि लालबत्ती लगाकर कोई आतंकवादी चल रहा है, कोई अपराधी चल रहा है या कोई दूसरे लोग हैं। फिर वह लालबत्तियां बंद हुईं और हिमाचल प्रदेश में भी बंद हुईं। लेकिन फिर, जो बहुत सारे पुल्ज एंड प्रैशर्ज़ रहते हैं, उनके कारण आपने फिर से कुछ बत्तियां दीं। विधायकों को लालबत्ती के स्थान पर ऐंबर लाईट दे दी गई। अधिकारियों को नीली बत्ती दे दी। फिर और प्रैशर्ज़ पड़े कि नीचे तक सबको नीली बत्ती दी जाए। आजकल सब जगह नीला-ही-

नीला दिखाई देता है। उसके बाद, जो लोग हार जाते हैं आपने उनको भी यह सब दे दिया। कार्यकर्ताओं को स्थान मिलना चाहिए। पोलिटिकल प्रोसैस में राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं कहीं-न-कहीं सरकार में उनकी भी भागीदारी रहेगी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। यह पोलिटिकल प्रोसैस का एक हिस्सा है। लेकिन आपने इतने थोक में यह सब किया! प्रदेश के सारे बोर्ड और कार्पोरेशन घाटे में चल रहे हैं। उन घाटे में चल रहे बोर्ड और कार्पोरेशन्ज में आपने कई चेयरमैन, वाईस-चेयरमैन और मैंबर्ज़ बना दिए। मार्किटिंग बोर्ड में भी आपने चेयरमैन बना रखा है। पहले मार्किट कमेटियों का चेयरमैन आम तौर पर जिलाधीश हुआ करता था। वाईस-चेयरमैन ग्रोवर्ज़ में से या व्यापारियों के

04.04.2016/1605/SLS-AS-2

रिप्रजैंटेटिव्ज में से किसी को बनाते थे। लेकिन अब प्रचलन हो गया है कि राज्य में चेयरमैन ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में बनाने हैं। जो चेयरमैन बनाए जाते हैं, उनके लिए गाड़ी का प्रावधान नहीं है। मार्किट कमेटी में गाड़ी का प्रावधान इसलिए है कि आपका अगर कोई ट्रक भाग जाता है, गाड़ी का प्रयोग उसको रोकने के लिए करना है। अगर अधिकारी ने कहीं जाना है, चेयरमैन या मैंबर्ज़ ने भी किसी काम से जाना है तब वह उस गाड़ी का उपयोग करेंगे। लेकिन अब वह ईयरमार्क कर दी गई हैं। जैसे वह गाड़ी चेयरमैन के पास ही रहेगी। उनके अलावा कोई उसका प्रयोग नहीं कर सकता। वह उनके घर पर खड़ी रहती है। वह गाड़ी अब बिना बत्ती के नहीं चल सकती। माननीय मंत्री जी जाते हैं या रोहित ठाकुर जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते होंगे तो इनके लिए तो अपनी गाड़ी वहां से चली जाती होगी। लेकिन इनके यहां के जो चेयरमैन हैं उनकी गाड़ी के आगे पॉयलट चलता है। वह केवल नीली बत्ती तक ही सीमित नहीं रहते। मैंने पॉयलट को चलते स्वयं अपनी आँखों से देखा है। मैंने पहले भी इस सदन में इस बात का ज़िक्र किया था। इतना ही नहीं, उनके लिए लिमिट निर्धारित कर रखी है कि अगर वह गाड़ी चलेगी तो कितनी चलेगी; आप उसके ऊपर कितना पैसा ख़र्च कर सकते हैं? लेकिन अब उसमें कोई बंदिश नहीं रह गई हैं। जितनी मरज़ी चलेंगे उतना पैसा होगा। मार्किटिंग बोर्ड के पास जाने की तो वह आवश्यकता ही नहीं समझते। अब नीचे ही पैसा मिल जाता है और उससे ख़र्च कर लेते हैं। नियमानुसार ख़र्च करने से पहले टुअर की अप्रूवल होनी चाहिए। जो जिले के भीतर का टुअर है, उसका भी टुअर प्रोग्राम बनेगा और उसकी अप्रूवल होगी। लेकिन जो बाहर के लिए टुअर बनेगा उसका भी प्रयोजन बताना पड़ेगा। जैसे विधान सभा की कमेटियों के या पार्लियामैंटरी कमेटियों के टुअर होते हैं, किसी का भी टुअर होगा; अपने टुअर प्रोग्राम और

टुअर डायरीज मीनिस्टर्ज़ और चीफ मीनिस्टर्ज़ तक सभी देते हैं। लेकिन यहां टुअर के लिए केवल 2-3 लोगों की अप्रूवल होगी और उसमें आप कहीं ग्रोवर्ज़ के नाम से या

गर्ग..... द्वारा जारी

04/04/2016/1610/RG/AS/1

श्री सुरेश भारद्वाज-----क्रमागत

कोई व्यापारी के नाम से जैसे यहां श्री महेश्वर सिंह जी ने नाम पढ़े हैं, इसी प्रकार के नाम शिमला जिले से भी हैं, वे सब जाएंगे, लेकिन वे मार्केट को देखने नहीं जाते। मार्केट देखनी हो, तो वे हिमाचल की भी मार्केट देख सकते हैं। ज्यादातर जो ग्रोअर्ज या आढ़ती हैं वे आजादपुर मण्डी तक और अब तो परवाणु, चण्डीगढ़, दिल्ली, सोलन आदि में भी मण्डी है और बाकी प्रदेशों में भी मण्डियां हैं। वे कोई स्टडी करने जाएं, स्टडी टुअर है जिसके लिए टैक्स पेयर्ज का पैसा खर्च किया जा रहा है। ये जो आप ग्रोअर्ज से मार्केट कमेटी के नाम से पैसा लेते हैं या आप बहुत सारी मार्केट फीस नहीं ले रहे हैं और वहां मार्केट में आप यूजर चार्जिज के नाम से मार्केट में पैसा ले रहे हैं उस पैसे का उपयोग किस काम के लिए होना चाहिए? क्या उसका कोई अकॉउन्ट रखा जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा जहां मर्जी खर्च हो रहा है और लिमिट क्रॉस करके आप पैसा खर्च कर रहे हैं। आप टुअर समुद के किनारे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हिमाचल प्रदेश में हमें मछलियों की खेती करनी है। सेब का तो अब शायद ऐसा लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सेब पता नहीं कब धीरे-धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि कुछ पेड़ जो लगे थे वे कट भी रहे हैं इसलिए भी सेब की खेती कम हो जाएगी। इसलिए अब जाकर मछलियों का उत्पादन किया जाए। खड़ा पत्थर या अन्य स्थानों पर मछली पालन किया जाए। उसके लिए टुअर पर जाएंगे। अब टुअर पर जाते हैं, तो वहां बाकी चीजें साईट सींग होते हैं या दूसरी चीजें होती हैं, उससे मुझे कोई बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं है, लेकिन टैक्स पेयर का पैसा या मार्केट का पैसा किसी उपयोग के लिए आपने दिया है और लिमिट आपने तय की हुई है कि इसके अंदर वह पैसा खर्च होगा। लेकिन लिमिट में पैसा खर्च नही होता है और जितना मर्जी लोग पैसा खर्च कर लेते हैं। अब बार-बार श्री महेश्वर सिंह जी कह रहे थे कि एम.डी. को पता है या किसी और को पता है, तो जब श्री रोहित ठाकुर जी और माननीय मंत्री श्री सुजान सिंह

पठानिया जी की ही नहीं चलती है, तो वहां एम.डी. की क्या चलेगी? इसीलिए हम कहते हैं कि यह सरकार कैसे चल रही है? शायद जो चेयरमैन या वाईस चेयरमैन है उन्हीं के सहारे यह चल रही है और उन्हीं के लिए यह सरकार बनी हुई है। इस प्रकार की धांधली इन छोटे-छोटे मार्केट कमेटीज़ और मार्केट में हो रही है,

04/04/2016/1610/RG/AS/2

तो इस प्रकार से इस प्रदेश की तरक्की कैसे संभव हो सकती है? इसलिए मैं समझता हूं कि श्री महेश्वर सिंह जी इस माननीय सदन में जो चर्चा लाए हैं यह अच्छी है क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड या मार्केटिंग कमेटीज़ कभी घाटे में नहीं जानी चाहिए। उनके पास पैसा आने का प्रावधान है, उनके पास मार्केट फीस, यूजर चार्जिज इत्यादि का प्रावधान है। ये अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेब के ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार जो पैसा लेती है, वे पैसा पकड़ते भी हैं या नहीं क्योंकि अधिकांश मेरी जानकारी के अनुसार एक या दो रुपये टैक्स एक पेटी के ऊपर लगता है, उसको बिना लिए ट्रक क्रॉस कर जाते हैं। वह काम हो नहीं रहा है और सब ये समझते हैं कि हम चेयरमैन और वाईस चेयरमैन बन गए हैं, तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि हम अपने दफ्तर की रेनोवेशन करें और उसके बाद हमारी गाड़ियां बहुत बढ़िया होनी चाहिए और सरकारी कानून के अनुसार बत्ती मिले या नहीं, लेकिन उसमें लाईट जरूर लगनी चाहिए और अपने क्षेत्र में जाकर हम दनदनाते रहें और मौज-मेला करते रहें। ऐसा दुरूपयोग टैक्सपेयर्ज के मनी के साथ हो रहा है। इसलिए इसको रोकना सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इस दिशा में इस बोर्ड की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, आप स्वयं इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इस बात की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं होती है कि कोई पॉलिटिकल वर्कर है, वह ठीक काम करता है, तो पॉलिटिकल वर्कर को ऐडजस्ट करना है। मैं कोई उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन वह ठीक काम करे और ठीक दिशा में काम करे। कम-से-कम जो कानून या संविधान है, रूल्स रेगुलेशन्ज हैं उनका पालन करते हुए जिस काम के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, जिसके कारण उसका फायदा सरकार को भी पहुंचना चाहिए, सरकार की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार होना चाहिए, अगर वह उस दिशा में काम नहीं करता और केवल मात्र उसको वह अपने मौज-मेले का स्थान समझता है, तो ऐसी चीज पर अंकुश लगाया जाना चाहिए

एम.एस. द्वारा जारी

04/04/2016/1615/MS/AS/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----

तभी हम इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें मार्किटिंग बोर्ड और मार्किटिंग कमेटी को अपने ग्रोवर्स और जो हमारे वहां व्यापारी होते हैं उनको मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वहां पर पानी की सुविधा नहीं होती है। वहां पर टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं होती है। आप कहीं भी मार्किटिंग कमेटियों में चले जाएं, वहां पर जो ट्रक जाते हैं उनकी पार्किंग के लिए जगह नहीं होती है। वहां पर लोडिड ट्रक की यदि अनलोडिंग नहीं होती है तो ट्रक ड्राइवर्ज को रूकने के लिए वहां व्यवस्था होनी चाहिए। इन चीजों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और केवल अपने टूअर में व्यस्त हैं। इस बात को रोका जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

04/04/2016/1615/MS/AS/2

अध्यक्षः अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो चिन्ता माननीय सदस्य महेश्वर सिंह जी और दूसरी तरफ से आई है, इसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

हिमाचल प्रदेश में कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियम इत्यादि भी बनाए गए हैं, जिनके अनुसार बोर्ड/मण्डी समितियां अपना कार्य करते हैं।

विपणन बोर्ड व मण्डी समितियों के कार्य को चलाने के लिए प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के 287 पद स्वीकृत हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड/ मण्डी समितियों का कार्य

सुचारू रूप से चलाने हेतु विभिन्न श्रेणियों के 78 पदों को आऊटसोर्स से भरने की स्वीकृति प्रदान की है। कार्य की आवश्यकता अनुसार बोर्ड द्वारा समय समय पर सेवाएं आऊटसोर्स की जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015-16 में दिनांक 31.12.2015 तक बोर्ड को मु0 5.31 करोड रू0 की आय प्राप्त हुई है तथा बोर्ड द्वारा मु0 3.97 करोड रू0 व्यय किए गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में दिनांक 31.12.2015 तक विभिन्न मण्डी समितियों को मु0 44.86 करोड रू0 की आय प्राप्त हुई है तथा मु0 31.12 करोड़ रू0 व्यय हुए हैं।

बोर्ड द्वारा प्रदेश सरकार के समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा सभी नियमों का ध्यान रखा जाता है। बोर्ड तथा समितियों में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो इसके लिए बोर्ड तथा 5 बड़ी मण्डी समितियों (शिमला एवं किन्नौर, सोलन, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, कांगडा तथा मण्डी) में प्री-ऑडिट प्रणाली शुरू की

04/04/2016/1615/MS/AS/3

गई है। अभी तक ऑडिट ने निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी गम्भीर आपत्ति बोर्ड/मण्डी समितियों के ध्यान में नहीं लाई है।

अध्यक्ष महोदय, नई सब्जी मण्डी के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि, कृषि उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का होना इत्यादि का सर्वेक्षण किया जाता है। फिजिबिलिटी के अनुसार ही मंडियों का निर्माण किया जाता है। बोर्ड ने इसके लिए नीति बनाई है, जिसके अंतर्गत मंडियों/उप मंडियों के निर्माण सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 54 मंडियों का निर्माण किया गया है, 5 स्थानों पर मडियां निर्माणाधीन है तथा 10 स्थानों पर प्रस्तावित है। इन मंडियों में सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे- नीलामीं मंच, दुकानें, गोदाम, मण्डी के लिए सड़क, किसान भवन, कार्यालय, चौकिदार के लिए रिहायश, बिजली, पानी, शौचालय तथा सफाई व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध की गई है/की जाती है।

उपरोक्त वर्णित सुविधाओं के सृजन पर अभी तक लगभग मु0 115.31 करोड़ रू0 की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर मु0 6.43 करोड़ रू0, रज्जू मार्गों के निर्माण पर मु0 0.49 करोड़ रू0 तथा संग्रह केन्द्रों के निर्माण पर मु0 1.22 करोड़ रू0 व्यय किए गए हैं।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

04.04.2016/1620/जेएस/एजी/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः---जारी

अध्यक्ष महोदय, बोर्ड ने वर्ष 2016-17 के लिए मण्डी समिति के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए मु0 28.42 करोड़ रूपए के बजट प्रावधान हेतु स्वीकृति प्रदान की है।

अध्यक्ष महोदय, बोर्ड तथा समितियों द्वारा किए जा रहे अन्य मुख्य कार्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः-

1. एगमार्कनेट (Agmarknet) के माध्यम से कृषि विपणन की सूचना उपलब्ध करवाना।
2. शीत भंडार (CA/CS Stores) बनाने की योजना। इसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 12 संभावित स्थानों का चयन किया गया है। NABCONS द्वारा इस विषय में विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट बोर्ड को प्रेषित की है जिसका बोर्ड द्वारा परीक्षण उपरांत CA/CS Store स्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी।
3. राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना के अंतर्गत प्रदेश की मंडियों में मंडी आटोमेशन सूचना प्रणाली लागू करने का कार्य किया जा रहा है जिसमें e-auction की सुविधा उपलब्ध होगी।

   अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में निर्माणाधीन 7 मंडियों (पराला, घुमारवीं, पालमपुर फेज़-2, परवाणू, चौरी बिहाल, रिमण्ड, करसोग) का कार्य पूण कर लिया गया है तथा परवाणू फल एवं सब्जी मण्डी जो पिछले लम्बे समय से बन्द पड़ी थी, वर्ष 2013 में कृषि उपज के विपणन हेतु शुरू की गई, जिससे प्रदेश के किसानों/बागवानों को लाभ पहुंचा है।

   अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने कहा है और जो यह मेरा ज़वाब है, यह आपसे में मेल नहीं खाता। मैंने तो जवाब दिया जो यहां पर लिखा हुआ था और यहां

पर जो डिसकशन में आया है वह पूरी तरह से भिन्न है। यहां पर खासकर दो जिला की समितियां, एक कुल्लू और एक शिमला में

04.04.2016/1620/जेएस/एजी/2

इनके अनुसार उनमें जो धांधलियां चल रही है, यह सारे का सारा मसला इसके ऊपर है कि जैसे इन्होंने कहा कि छः लाख रुपया पैट्रोल पर खर्च आ गया। पैट्रोल जो हमने अलाऊ किया है and Wear and tear वह पहले दो लाख था अब इसको दो लाख पचास हजार रु0 कर दिया है। टूअर में चेयरमैन और मैम्बर्ज़ या एक-दो फार्मर्ज़ जा सकते थे परन्तु ये आढ़ती पता नहीं क्यों गए, हो सकता है कि ये भी कोई सेल वगैरह के बारे में सीखने के लिए गए हों। अध्यक्ष जी, तीन लाख रुपये एडवांस लिया गया है और अभी तक Tour diaries by Chairman and others have not been received by the Board. जब वह बोर्ड में आएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या इसको पास करना है या क्या करना है। दूसरा, अध्यक्ष जी, जो चेयरमैन ने अपने ऑफिस की रैनोवेशन की है, हमने भी सुना है कि उसने आठ लाख रुपये खर्च कर दिए हैं। हमने कोई पैसा नहीं दिया और न ही हम पैसा रिलीज़ कर रहे हैं। इन्क्वायरी कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है and that is under consideration. Under Section 39 (b) of the Market Committee Act, resolution is required regarding establishment of *mandi* . यह तो मैंने पहले ही कह दिया है कि मण्डी के लिए मण्डी कमेटी का रैज़ोल्यूशन बड़ा जरूरी होता है। जो वहां पर महेश्वर सिंह जी ने और भारद्वाज जी ने भी इरैगुलर वर्क बताए हैं कि इन मण्डियों में ये हो रहे हैं, इसकी रिपोर्ट और डिटेल्ड इन्क्वायरी की जाएगी और जो आदमी इसके लिए अपराधी पाया जाता है, उसके खिलाफ भी ऐक्शन होगा और गलत पेमैंट भी किसी आदमी को नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

04.04.2016/1625/SS-AG/1

अध्यक्षः महेश्वर सिंह जी, आप एक-आध बात ही पूछिये।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, कुछ स्पष्टीकरण है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि जो अधिनियम, 2005 है वह इसलिये बनाया गया है कि कमेटियों का संचालन उसके अन्तर्गत हो। अगर कोई इस अधिनियम का उल्लंघन करे तो क्या सरकार मूकदर्शक बन कर रहेगी? जब प्रूव हो जायेगा तो क्या ऐक्शन लेगी या नहीं लेगी? --(व्यवधान)-- एक मिनट, मैं सारे सवाल इकट्ठे पूछ लूं फिर आप जवाब दीजिये। आपने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, अगर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तो जो अनियमितताएं हुई हैं उसमें कार्रवाई कीजिये। मैं टूअर प्रोग्राम को अलग रख रहा हूं। पीछे आपने आश्वासन दिया था कि रिपोर्ट आयेगी तो उचित कार्रवाई की जायेगी। अब मंत्री महोदय आपने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा कि रिपोर्ट आ चुकी है तो क्या उसकी एक प्रतिलिपि सभापटल पर रखेंगे? अगर रिपोर्ट आई है तो वह सभापटल पर क्यों न रखी जाए?

दूसरा, मंत्री महोदय जब आप स्वयं कह रहे हैं कि इन बातों को लेकर अनियमितताएं हुई हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि जो कार्यालय पर पैसा खर्च हुआ उसका बाकायदा ऑडिट होता है। वह ऑडिटर क्या ऑडिट करेगा जो स्वयं ही वहां स्वयंभू बन कर बिल पास कर रहा है? जब ये बिल ऊपर आने चाहिए थे तो बिना सैंक्शन के पैट्रोल और मैंटीनेंस की कैसे पेमैंट कर दी? यह बिना सैक्रेटरी और अध्यक्ष के तालमेल से नहीं हो सकता। तो क्या आप वहां सैक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है। इंक्वायरी में ठेकेदार का बयान है कि यह सारा काम सैक्रेटरी और चेयरमैन ने करवाया। ऊपर से बोर्ड से कोई नहीं आया। फिर जब वहां उनकी मिलीभगत साबित हो जाती है तो अब कौन-सी इंक्वायरी बाकी रह गई? क्या

आप उस इंक्वायरी के आधार पर उनको दंडित करेंगे जो-जो वहां दोषी हैं या केवल यह विचाराधीन रहेगी?

04.04.2016/1625/SS-AG/2

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ज्यादा कुल्लू में जो मंडी कमेटी है उसके बारे में ही बोला है। ये कह रहे हैं कि उसने 8 लाख रुपया लगाया है और वह उसकी पेमैंट करता रहा है जो वहां पर हमारा आदमी बैठा है। --(व्यवधान)--

श्री महेश्वर सिंहः उसकी पेमैंट अगर रूकेगी तो नुकसान ठेकेदार का होगा। इनको उसमें कौन-सा दंड मिल गया?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः मैं वही कह रहा हूं कि हमने न तो कोई पेमैंट की है और न हमने उसको रैनोवेशन के लिए अथोराइज़ किया है। इसलिए हमारा अभी तक उसको कोई पैसा रिलीज़ नहीं हुआ जब तक यह पता नहीं लग जायेगा कि यह इसने कैसे किया और इसका क्या हुआ। एक तो यह बात है।

दूसरा, जहां तक यहां पर रिपोर्ट रखने की बात है आपने उसे देख लेना। यहां पर मैंने क्या रखनी है। --(व्यवधान)-- मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा, यहां पर क्या रखनी है।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इंक्वायरी रिपोर्ट आती है तो फिर उसकी जानकारी प्राप्त करना इस सदन का अधिकार है। मेरा अकेला अधिकार नहीं है। It is not a private affair कि मैं इसे देखूं। It should be kept on the Table of the House. तब कार्रवाई होगी। मैंने कहा कि उस जगह पर एक स्लोटर हाउस है, वह इतना बीमारी का कारण बन जायेगा क्या उनको हटाने के लिए आप निर्देश देंगे? एक वहां गैस्ट हाउस है, उसमें कोई भला चंगा किसान सो नहीं सकता इतनी वहां दुर्गति है। क्या इन चीज़ों/व्यवस्थाओं को कोई यहां से जाकर देखेगा और ठीक करेगा?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः आपकी चिन्ता को देखते हुए हम वहां पर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। स्लोटर हाउस के बारे में मैं यहां पर ऑफ हैंड आपको कुछ नहीं कह सकता कि मैं उसको कहां पर रखूंगा या शिफ्ट करवाऊंगा। --(व्यवधान)-- किसान भवन मंडी में है तो उसका क्या करना?

श्री महेश्वर सिंहः वह अस्त-व्यस्त है उसको ठीक करना है। इसके अतिरिक्त वह रिपोर्ट तो अवश्य चाहिए।

जारी श्रीमती के0एस0

04.04.2016/1630/केएस/एजी/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री :अध्यक्ष महोदय, जो गैस्ट हाऊस है उसको ठीक करवा दिया जाएगा।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह गवर्नमैंट का प्रोसिज़र है कि जो भी रिपोर्ट आएगी और उस पर जो कार्रवाई होगी, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। Report is a document presented to the Government. We have to see the veracity of the report. कहां ठीक है, कहां क्या गलत है और जो गलत पाया जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। You have right to see the report.

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार,05 अप्रैल, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा**
दिनांकः 04 अप्रैल, 2016 **सचिव।**